DOC: NMPB-GFCP-01(FD)

औषधीय पादपों की गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ के लिए मानक

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,
तृतीय तल, आयुष भवन, B ब्लॉक, G.P.O. कॉम्प्लेक्स,
INA, नई दिल्ली - 110023, भारत
टेलीफोन नं.: 011 - 24651825

0. प्रस्तावना

0.1 भारत में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध जैसे पादप आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की एक समृद्ध विरासत है, जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता बहुत अधिक है। दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य के इच्छुक लोगों की मांगों में बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि अधिक से अधिक लोग पारंपरिक और हर्बल दवाओं के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहते हैं। चिकित्सा की पारंपरिक और पूरक प्रणालियों के उपयोग में एक वैश्विक चढ़ाव आया है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि चिकित्सा की ये प्रणालियां, बड़े पैमाने पर संयंत्र आधारित हैं, आमतौर पर सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती हैं। दुनिया भर में प्राकृतिक/हर्बल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग ने न केवल औषधीय पादपों के संरक्षण की ज़रूरत उत्पन्न की है बल्कि हेल्थ केयर उत्पादों के रूप में मानवता की सेवा के क्षेत्र में इसकी व्यापक संभावनाओं के उचित उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। प्राकृतिक वनों से होने वाला अत्यधिक दोहन अस्थिर संग्रह की ओर अग्रसर है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में औषधीय पादप प्रजातियों की अनिश्चित उपलब्धता का माहौल बना है और जंगलों में उनकी उपलब्धता में भारी आई है।

0.2 वन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल का मुख्य स्रोत रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि जंगलों से अपरिहार्य संग्रह से बड़ी संख्या में प्रजातियों का आस्तित्व संकट में आ गया है। उत्पादन इकाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औषधीय पौधों के कच्चे माल का लगभग 90 प्रतिशत प्राकृतिक वनों से प्राप्त होता है, और यह अक्सर स्थायी सीमाओं से बहुत अधिक होने के कारण पर्यावरणीय और सामाजिक विवेचन का कारण बनता है।

0.3 पारंपरिक / हर्बल औषधीय उत्पादों की वृद्धि और उस तक पहुंच में सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता शामिल हैं। इसमें यह बात भी जुड़ जाती है कि इनकी गुणवत्ता तैयार उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि औषधीय पौधों के लिए गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ के विकसित होने से अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB), आयुष विभाग ने औषधीय पौधों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विकसित गुड एग्रीकल्चर एवं फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज (GACPs) की तर्ज पर भारत में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ (GAPs) के संदर्भ में कृषि संबंधी विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

0.4 इस मानक की तैयारी में 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विकसित गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ (GACPs) से और GLOBALGAP सचिवालय द्वारा अभिषिक्त गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ से सहयोग लिया गया है जिसे 80 से अधिक देशों में लागू किया जा रहा है।

0.5. इस मानक में दी गई आवश्यकताएँ निम्नलिखित वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अधीन हैं:

a) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स (30 जून 2005 तक संशोधित।)
नई दिल्ली: स्वास्थ्य विभाग। 2005. शेड्यूल टी: आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMPs)।

b) भारतीय आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, 5 वॉयल्यूम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1989-2005

c) भारतीय सिद्ध फार्माकोपिया, भाग I(1), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2007

d) भारतीय यूनानी सिद्ध फार्माकोपिया, भाग I, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

e) भारतीय वन अधिनियम, 1927

f) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

g) जैव विविधता अधिनियम, 2002

1. प्रयोजन

इस मानक में स्थायी रूप से पैदा किए गए औषधीय पौधों के लिए गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ और सभी हितधारकों द्वारा इस्तेमाल की जाने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना शामिल हैं।

इस मानक में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ (GAPs) की ज़रूरतें शामिल नहीं हैं।

2. परिभाषाएं और संक्षिप्ताक्षर

2.1 किसी हितधारक द्वारा सामान्य रूप से समझने के लिए आवेदन से संबंधित नियमों को एक समान तरीके से परिभाषित किया गया है और अनुलग्नक A में उल्लेखित किया गया है

2.2 संक्षिप्ताक्षर - इस मानक में इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर अनुलग्नक G में दिए गए हैं।

3. ज़रूरतें

3.1 मानक औषधीय पौधों की कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ के लिए आवश्यकताएं प्रदान करता है। ज़रूरतों का विवरण तालिका 01 में दिया गया है।

4. समीक्षा एवं मूल्यांकन

4.1 तालिका 01 में उल्लेखित ज़रूरतों के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा कि उत्पादक उनका अनुपालन करें। समीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र विकसित किया जाएगा। ज़रूरतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता होती है जो मूल्यांकन में पाई जा सकती हैं। इन कमियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

अतिमहत्वपूर्ण या गंभीर: जब इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि उत्पादक ने अपने प्रलेखन और कार्यान्वयन में आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है और जो समय सीमा के भीतर एक प्रारंभिक सुधार और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए GFCP कॉलिंग के संचालन और अभ्यास पर संदेह उठाता है।

महत्वपूर्ण: जब साक्ष्य इंगित करते हैं कि एक निश्चित समय के भीतर प्रारंभिक सुधारात्मक कार्यों के लिए आह्वान वाले मानदंडों के कुछ घटकों के कार्यान्वयन में गंभीर लापरवाही बरती गई है।

मामूली: जब साक्ष्य इंगित करते हैं कि GFCP मानदंड के लिए कोई मामूली अनुपालन नहीं किया गया है और उसका प्रणाली के संचालन और इसके परिणामों पर नगण्य प्रभाव पड़ता है।

नोट : तंत्र के संचालन को किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रभावित करने वाले अनेक मामूली अपालन गंभीर अपालन बन जाते हैं।

4.2 मानदंडों के विरुद्ध एक स्व-मूल्यांकन पद्धति विकसित करने के लिए, एक जांच-सूची विकसित की गई है जो कि तालिका 02 में दी गई है। यह प्रणाली के मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा। यह तब भी इंगित करता है जब किसी विशेष मानदंड का उल्लंघन गंभीर, महथ्त्वपूर्ण या मामूली उल्लंघन किया जाता है।

तालिका 01 ज़रूरतें एवं मूल्यांकन मानदंड

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
1	संग्रह स्थल का चयन		
1.1	औषधीय पादप उत्पाद के संग्रह स्थल विषैले तत्वों से मुक्त होना चाहिए और प्रदूषण संभावित नहीं होना चाहिए।	बांबी, औद्योगिक क्षेत्रों, सीवेज लाइनों, श्मशान, अस्पतालों, खनन स्थलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं, कीटों, रसायनों, विषाक्त गैसों, सीवेज, ऑटोमोबाइल आदि से संग्रह स्थल के संपर्क के बारे में संपूर्ण सूचना उपलब्ध होनी चाहिए ।	महत्वपूर्ण
1.2	क्या संग्रह स्थल भारी वाहन यातायात वाली सड़क के निकट है?	उन पौधों से काटी गई / संग्रहीत की गई सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए अनुपयुक्त होती है जिसे भारी यातायात वाली सड़क के किनारे स्थित होते हैं और निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं।	मामूली
1.3	क्या संग्रह स्थल उन प्रजातियों के लिए विश्वसनीय स्रोत है जिनका संग्रहण किया जाना है?	अधिकृत एजेंसी से प्राप्त स्थलीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध होनी चाहिए ।	महत्वपूर्ण
1.4	क्या संग्रह स्थल पर अपेक्षित प्रजातियों की पर्याप्त मौजूदगी है?	अधिकृत एजेंसी से प्राप्त स्थलीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध होनी चाहिए ।	महत्वपूर्ण
2	**अधिनियमित ज़रूरतों का अनुपालन**		
2.1	**सामान्य**		
2.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद का संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण तथा बिक्रय मौजूदा कानूनों के अनुरूप किया जाता है?	इसके लिए केंद्र और स्थानीय दोनों सरकारों के अधिनियमित कानूनों का अनुपालन आवश्यक है (परिच्छेद 0.5 देखें)	अतिमहत्वपूर्ण
2.1.2	क्या औषधीय पादप उत्पाद का संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण तथा बिक्रय भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के अनुरूप किया जाता है?	जंगलों से किसी भी औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण का संग्रहण के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संधिपत्रों का सम्मान किया जाना चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण
2.2	**अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमन एवं दिशानिर्देश**		
2.2.1	क्या जंगल से किसी औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण के दौरान CITES द्वारा स्थापित प्राविधानों का अनुपालन किया जाता है?	संग्रह प्रबंधकों और संग्रहकर्ताओं को CITES के प्राविधानों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और स्थल पर अधनियमन की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए ।	अतिमहत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
2.2.2	क्या औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण प्रबंधकों तथा संग्राहकों का उद्देश्य निर्यात करना है ? यदि हां, तो क्या वे आयात करने वाले देशों के कानूनों का अनुपालन करते हैं?	आयात वाले देश में नियामक प्राधिकारियों के अतिरिक्त, CITES, IUCN और TRAFFIC के स्थानीय सचिवों से इस प्रकार के कानूनों व नियमों के बारे में परामर्श लिया जा सकता है।	अतिमहत्वपूर्ण
2.3	**राष्ट्रीय अधिनियमन**		
2.3.1.	क्या भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का अनुपालन किया जाता है?	संग्रह स्थल पर विनियमन रजिस्टर (ROR) उपलब्ध होना चाहिए जिसमें विविध अधिनियमों व कानूनों के लागू प्राविधानों का उल्लेख हो।	अतिमहत्वपूर्ण
2.3.2	क्या संग्राहक तथा संग्रहण प्रबंधक इस प्रकार के अधिनियमों, कानूनों से अवगत हैं और उनमें उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करते हैं?	प्रबंधकों व संग्रहणकर्ताओं की नियामक ज़रूरतों से संबंधित प्रशिक्षण व जागरूकता के रिकॉर्ड उपलब्ध होनी चाहिए ।	महत्वपूर्ण
2.3.3	क्या संग्राहक तथा संग्रहण प्रबंधक आयात-निर्यात नीति तथा इस नीतिगत अभिलेख में उल्लेखित प्राविधानों के अनुपालन के लिए निर्यात की नकारात्मक सूची से अवगत हैं?	निर्यात की नकारात्मक सूची की मौजूदगी और उनसे संबंधित नीतियां उपलब्ध होनी चाहिए ।	महत्वपूर्ण
2.4	**स्थानीय अधिनियमन**		
2.4.1	क्या संग्राहक/संग्रहण प्रबंधक विशिष्ट क्षेत्रों में औषधीय पादप उत्पादों के संग्रहण, पारगमन तथा बिक्री को नियंत्रित करने वाले स्थानीय अधिनियमन से अवगत हैं और क्या वे उनका अनुपालन करते हैं?	राज्यों द्वारा अभिनीत स्थानीय जैसे कि मध्य प्रदेश सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एक्ट 2005, आन्ध्र प्रदेश रेड सैंडर्स वुड पजेश्शन रूल्स 1989, एचपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रांजिट (लैंड रूट्स) रूल्स 1977, तमिल नाडु सैंडलवुड ट्रांजिट रूल्स 1967 तथा महाराष्ट्र फॉरेस्ट प्रोड्यूस	अतिमहत्वपूर्ण
2.5	**संग्रहणों के लिए अनुमति**		
2.5.1	क्या संग्राहकों / संग्रहण प्रबंधकों ने सक्षम एजेंसी से औषधीय पादप उत्पादों के संग्रहण, परिग्रह, पारगमन तथा बिक्री के लिए आवश्यकतानुसार विधिक रूप से लिखित पूर्व अनुमति ली है?	ऐसी अनुमतियों के दस्तावेज़ी साक्ष्य सुरक्षित स्थान पर रखे जाने चाहिए। जब ऐसे औषधीय पादप उत्पादों के व्यापार के समय क़ानूनों व विनियमों के अनुरूप समुचित अभिलेखन अवश्य उपलब्ध होना चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण
3	**कृषि उपज की कटाई / संग्रहण का प्रबंधन** अनुलग्नक B में दिए गए दिशानिर्देशों को दृश्टिगत रखा जाना चाहिए		

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
3.1	**गुणवत्ता विवेचन**		
3.1.1	**Botanical authenticity of species**: क्या पादप प्रजातियों को जंगल से संग्रहीत करने से पहले उनकी वानस्पतिक पहचान (वंश, प्रजाति इत्यादि) की गई है? क्या उस पादप की पहचान करके रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिससे उत्पाद प्राप्त किया गया है?	संग्रहीत प्रजातियां वैधानिक अभिलेखों के अनुरूप होनी चाहिए (0.5 देखें). जहां पहचान को प्रमाणित करने के लिए पूर्व परीक्षरण किया जाता है, वाउचर नमूनों को परीक्षण प्रतिवेदनों सहित उपयुक्त विधि से संरक्षित किया जाना चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण
3.1.2	**नए पौधों की वानस्पतिक प्रामाणिकता :** संग्रहीत किए जाने वाले नए औषधीय पादप प्रजातियों को कैसे चिन्हित किया जाता है, जिनका किसी औषधकोश या संदर्भ पुस्तक में विनिबन्ध नहीं मौजूद है?	नई औषधीय पौधों की प्रजातियों की पहचान BSI या FRI या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या क्षेत्रीय वनस्पति संग्रहालय के परामर्श से स्थापित की जानी चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.1.3	क्या फील्ड कलेक्शन प्रोटोकॉल उपलब्ध है?	वानस्पतिक प्रजातियों के लिए लागू ऑपरेटिंग मैनुअल / संग्रह प्रोटोकॉल संग्राहकों / संग्रह प्रबंधकों के लिए स्थल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस तरह के मैनुअल / प्रोटोकॉल को सरल और निर्देशात्मक सामग्री का उपयोग करके स्थानीय भाषा में प्रारूपित किया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.1.4	**स्वस्थ पादपों का संग्रहण** प्रजातियों का औषधीय मान ऐसे संघों से प्राप्त होने जैसे कि कीटों के पित्त, अगर की लकड़ी इत्यादि, की स्थिति को छोड़ कर, क्या वांछित पादप प्रजातियों के केवल स्वस्थ भागों को काटा जाता है।	कीड़ों, कीट, कवक, बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित पौधों का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। ऑपरेशन मैनुअल / संग्रह प्रोटोकॉल में स्वस्थ पौधों के चयन के लिए मानदंड प्रजातियों के विशिष्ट संदर्भ सहित रखे जाने चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.1.5	**फसल की उचित** फेनोलॉजिकल विकास **अवस्था में कटाई :** औषधीय पादप उत्पाद में जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों की इष्टतम मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, क्या फसल की कटाई सही फेनोलॉजिकल विकास चरण में की जाती है?	प्रत्येक औषधीय पौधे के लिए तारीखों और महीनों के साथ पौधों की प्रजातियों के फिनोलॉजिकल चरण के संदर्भ में संग्रह का समय प्रलेखित किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक F देखें)	अतिमहत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
3.1.6	**संग्रहण के लिए मौसम की स्थितियां :** क्या कटाई का कार्य मौसम की उचित स्थितियों में किया गया है? जब आर्द्र स्थितियों में कटाई अनिवार्य रूप से करनी पड़े, तो क्या उत्पाद को शीघ्र सुखाने के लिए समुचित प्राविधान किए जाते हैं? क्या ओस से बचने के लिए सुबह जल्दी संग्रहण नहीं किया जाता है?	कटाई बारिश, धुंध या असाधारण उच्च आर्द्र स्थितियों के दौरान नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे कवक का हमला हो सकता है। ओस से बचने के लिए सुबह के समय जल्दी संग्रह नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह किसी भी उत्पादों (उदाहरण के लिए, पुष्प के वर्तिकाग्र व परागकोषों को ओस में बेहतर ढंग से काटा जा सकता है) की विशिष्ट आवश्यकता न हो। प्रजातियों से संबंधित फील्ड कलेक्शन प्रोटोकॉल को संग्रहण के लिए आदर्श मौसम की स्थिति में, आवश्यकतानुसार एक विशिष्ट संदर्भ बनाना चाहिए। जब प्रोटोकॉल में इस तरह का संदर्भ बनाया गया हो, तो साइट पर संग्रह की तारीख पर प्रचलित मौसम की स्थिति से संबंधित उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण मामूली
3.1.7	**उत्पाद की छंटाई** : क्या औषधीय पादप उत्पाद की छंटाई किसी कम पकी हुई या अधिक पकी हुई फसल से किया जाता है, जिससे लॉट की समग्र गुणवत्ता में कमी हो सकती है? जब व्यापार उत्पादों की ग्रेड के आधार पर होता है, तो क्या छंटाई के मापदंड और ग्रेडिंग निष्पक्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं?	लॉट की समग्र गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपरिपक्व या परिपक्व से छँटाई और ग्रेडिंग प्रक्रिया होनी चाहिए। जहां विभिन्न ग्रेड की उपज का व्यापार प्रचलन में है, वहां ग्रेडिंग भी स्थापित मापदंडों के अनुसार की जानी चाहिए। इस तरह के ग्रेड-वार छँटाई के आधार को निष्पक्ष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए (जैसे, फलों का व्यास, आकार या फल का भार, आदि)।	महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण
3.1.8	**बाह्य पदार्थ**: क्या औषधीय पादप उत्पादों के साथ बाह्य पदार्थों के किसी भी आकस्मिक मिश्रण से बचाने की व्यवस्था की जाती है जैसे कि मिट्टी के कण, पत्ते, तने, लकड़ी के टुकड़े या खाद्य पदार्थों के जैसे जैविक पदार्थ इत्यादि? क्या संग्राहक एक साथ काटे जाने वाले या प्रसंस्कृत किए जाने वाले औषधीय पादप उत्पादों को एक-दूसरे में मिश्रित होने व संदूषित होने से बचाने के लिए ज़रूरी सावधानी बरतते हैं?	फसल कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन के दौरान मिट्टी के कणों, जैविक पदार्थों जैसे पत्तियों, तनों, लकड़ी के टुकड़ों या खाद्य कणों के साथ किसी भी आकस्मिक मिश्रण से बचने के लिए प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए। एक साथ काटे या संसाधित किए जाने वाले अन्य औषधीय पौधों के साथ किसी भी मिश्रण और क्रॉस-संदूषण से बचने के लिए भी प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए।	महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
3.1.9	**विषैले खर-पतवार मिश्रित होना :** फसल की कटाई के समय क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि औषधीय पादपों के मध्य उगे विषैले खर-पतवार उत्पाद के साथ मिश्रित न हों?	उपज की कटाई के समय सुनिश्चित करना होगा औषधीय पादप उत्पाद में मिश्रित होने के लिए कोई खर-पतवार नहीं उगे हैं। संग्राहकों को इस प्रकार के समलक्षणी खर-पतवारों की जानकारी होनी चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.2	**पर्यावरणीय विवेचन**		
3.2.1	**प्रजातियों का संरक्षण स्तर** : क्या नियंत्रक लोगों (उदाहरण के लिए वन एवं वन्य जीव क्षेत्र के अधिकारी) और संग्राहकों को वांछित प्रजातियों के पौधों के वर्तमान संरक्षण स्तर की जानकारी है?	संबंधित क्षेत्रों में पौधों की प्रजातियों की RET स्थिति उपलब्ध होनी चाहिए और इस तरह की प्रजातियों के संरक्षण के लिए संग्रह के क्षेत्र में लागू मौजूदा विनियमन का पालन किया जाना चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण
3.2.2	**संवेदनशील प्रलातियां** : क्या संग्रह प्रबंधकों को संग्रहण स्थलों में उपलब्ध स्थानीय पादप प्रजातियों के बारे में जानकारी है?	प्रबंधकों को मौजूदा कानूनी और पारिस्थितिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रजाति संकटापन्न नहीं है।	महत्वपूर्ण
3.2.3	**प्रजातियों का वितरण** : क्या किन्हीं पादप प्रजातियों के संग्रहण की मात्रा, संग्रहण वाले क्षेत्र में प्रजातियों के वितरण के अनुपात में होता है?	किसी प्रजाति का संग्रहण केवल उन क्षेत्रों से किया जाना चाहिए जहां इसकी उपलब्धता की आवृत्ति स्थायी है।	महत्वपूर्ण
3.2.4	**प्रजातियों का पुनर्जनन** :: क्या औषधीय पादप प्रजातियों की कटाई उनके पुनर्जनन की क्षमता की सीमाओं के भीतर की जाती है?	स्थिरता के लिए, प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए औषधीय पौधों का कुछ प्रतिशत छोड़ा जाना चाहिए। छोड़े गए पौधों का आकार विभिन्न प्रजातियों में भिन्न-भिन्न हो सकता है, जो प्रजातियों की आदत और आंतरिक पुनर्योजी क्षमता पर निर्भर करता है। यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.2.5	**आधारभूत मूल्यांकन एवं निगरानी :**		
3.2.5 a	क्या जंगल में औषधीय पादप उत्पाद की उपलब्धता का आधारभूत मूल्यांकन किया गया है?	उपलब्ध आधारभूत आंकड़ों के आधार पर, नियमित प्रबंधन योजना के एक भाग के रूप में जंगल में औषधीय पौधों की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। बेसलाइन मूल्यांकन कंप्यूटर सॉफ्ट वेयर सहित गणितीय मॉडल अपनाकर किया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.2.5.b	क्या फसल के स्थायी स्तर पर मूल्यांकन किए गए हैं?	मूल्यांकन प्रत्येक प्रजाति के लिए कटाई के स्थिर स्तर के लिए भी किया जाना चाहिए, कम से कम उनके लिए जिनके अल्प अवधियों में संकटापन्न होने की संभावना होती है।	महत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
3.2.6	**संग्रहण की आवृत्ति :** क्या किसी औषधीय पादप उत्पाद की मांग होने के बावजूद उसके संग्रहण चक्र में पादप प्रजातियों या उत्पाद के पुनर्जनन चक्र के साथ समकालिक करने के लिए पर्याप्त अंतराल रखा जाता है?	पौधे के कटे हुए हिस्सों को फिर से भरने के लिए पर्याप्त अंतराल दिया जाना चाहिए। पुनर्जनन चक्र और संग्रह चक्र पर डेटा उपलब्ध होना चाहिए।	मामूली
3.2.7	**स्रोत पौधे के लिए नुकसान को न्यूनतम करना :** पौधों के वांछित भाग, जैसे कि पत्ते, फल, फूल, बीज इत्यादि, संग्रहीत करते समय क्या ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि पौधों के इन भागों की कटाई के समय पौधों को न्यूनतम नुकसान हो?	पौधों के भागों (फल, पत्तियां, फूल इत्यादि) को काटने में सहूलियत के लिए इनकी शाखाओं को काटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में उचित दिशानिर्देश उपलब्ध होने चाहिए।	मामूली
3.2.8	**प्राकृतिक ठिकाने का प्रबंधन :** फसल की कटाई के समय, क्या संग्राहक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजातियों के प्राकृतिक ठिकाने को न्यूनतम क्षति पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं?	प्रजातियों के प्राकृतिक स्थलों के नुकसान को कम करने के लिए दिशानिर्देश मौजूद होने चाहिए, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां जड़ों या अन्य भूमिगत भागों को काटा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संग्राहकों की बिना किसी रुचि के संबंधित प्रजातियों को उखाड़ा जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कटाई के समय लताएं और ट्वीनर संबंधित पौधों की प्रजातियों में कम से कम व्यवधान उत्पन्न करें। कुछ प्रजातियाँ केवल विशेष प्राकृतिक ठिकानों में होती हैं (उदाहरण के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में एकोरस कैलमस या बर्गोसिया सिलियाटा सिन। चट्टानों के खांचों में बर्जेनिया लिगुलता)।	महत्वपूर्ण
3.3	**सामाजिक विवेचन:**		
3.3.1	**प्रजातियों का स्थानीय इस्तेमाल:** क्या जंगल से किया जाने वाला औषधीय पादप उत्पाद का संगठित संग्रहण स्थानीय लोगों के वास्तविक अधिकारों तथा प्रजातियों की उपलब्धता को प्रभावित करता है?	स्थानीय लोग भोजन, चारा, ईंधन की लकड़ी, दवाओं, जंगली शिल्प, कृषि उपकरणों आदि के लिए जंगली संसाधनों पर कुछ वास्तविक अधिकारों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा, भारत में स्थानीय चिकित्सक जंगलों से अपनी औषधीय सामग्री के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए औषधीय पौधे का संग्रहण करते हैं। जंगलों से औषधीय पादप उत्पादों का संगठित संग्रहण स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग के लिए प्रजातियों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। (ISSC-MAP मानदंड 4.1: पारंपरिक उपयोग, पहुंच अधिकार और सांस्कृतिक विरासत)	महत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
3.3.2	**अपक्षपात**		
3.3.2.1	क्या औषधीय पादप उत्पादों के संग्राहक अपने प्रयासों के अनुरूप मूल्य पाते हैं?	क्षेत्र में काटी जाने वाली सभी प्रजातियों के लिए उचित मूल्य तंत्र के लिए प्राविधान किए जाने चाहिए।	महत्वपूर्ण
3.3.3.2	क्या औषधीय पौधों के उत्पादों के सभी हितधारकों द्वारा पालन किए जाने वाले उचित और समान लाभ साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है?	उचित और समान लाभ साझा करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और इसका औषधीय पौधों से जुड़े सभी हितधारकों द्वारा पालन किया जाना चाहिए जैसा कि द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, 2002 में दिया गया है।	महत्वपूर्ण
3.3.4	**सांस्कृतिक सोच-विचार :** क्या औषधीय पादप उत्पाद की कटाई और कटाई के बाद का प्रबंधन नैतिक संहिता और स्थानीय समुदाय और उस क्षेत्र के नियमों के अनुसार किया जाता है जिसमें वे गतिविधियाँ संचालित होती हैं और इन मूल्यों को सम्मान दिया जाता है?	कुछ पादप प्रजातियां जैसे तुलसी (ओसियम एसपीपी), बेल (एगल मैर्मेलॉस), पीपल (फिकस रिलीजियोसा), आम (मैंजीफेरा इंडिका) इत्यादि, सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि स्थानीय लोग इन्हें न काटने दें। औषधीय पादप उत्पादों की कटाई तथा कटाई के बाद के प्रबंधन के दौरान इन मान्यताओं को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।	मामूली
4	**फसल की कटाई के बाद का प्रबंधन** अनुलग्नक B में दिए गए दिशानिर्देशकों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संग्रहणकर्ताओं / संग्रह प्रबंधकों को फसल की कटाई के बाद के प्रबंधन के समस्त चरणों के लिए मैनुअल / ऑपरेटिव प्रोटोकॉल प्रदान किया जाना चाहिए। यह मैनुअल / ऑपरेटिव प्रोटोकॉल स्थानीय भाषा में सरल एवं निर्देशात्मक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाना चाहिए। प्राथमिक प्रसंस्करण स्रोत की निकटता में पूरा करने का प्रयास किया जाता है।		
4.1	**सफाई**		
4.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद की कटाई के बाद उत्पाद की गुणवत्ता के संरक्षण व निधानी आयु में बढ़ोत्तरी के लिए समयबद्ध व उचित प्रसंस्करण किया जाता है?	कटी हुई उपज के लिए मिट्टी को पेय जल से धोया जाना चाहिए। स्क्रैपिंग, छीलने या ब्रश करने के प्रीप्रोसेसिंग के बाद, उपज को सूखने से पहले पेय जल से धोया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
4.2	**छंटाई**		
4.2.1	क्या उत्पाद के साथ मिश्रित असंबद्ध सामग्री को हटाया जाता है?	इसमें फंसा हुआ कोई जैविक या अजैविक पदार्थ, मातृ पौधे का कोई ऐसे भाग, जो आधिकारिक औषधीय पादप उत्पाद का निर्माण नहीं करता है, को साफ तथा हटाया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
4.2.2	क्या काटी गई फसल, जो कि आकृतिक रूप से मोटी, मांसल या बड़े आकार की होती है, को समुचित रूप से सुखाने के लिए छोटे-छोटे / महीन टुकड़ों में काटा जाता है?	उपज को छोटे-छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से काटा जाना चाहिए कि उसका दृश्य स्वरूप भी बना रहे और वह सूख भी जाए।	महत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
4.3	**सुखाना**		
4.3.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद को कहीं प्रेषित करने या भंडारण हेतु पैकिंग करने से पहले समुचित रूप से सुखाया जाता है?	औषधीय पादप उत्पाद का इष्टतम आर्द्रता तत्व प्रलेखित किया जाना चाहिए ।	महत्वपूर्ण
4.3.2	जहां उत्पाद का निर्माण पौधे के कोमल तथा सुगंधित भाग से होता है, क्या वे केवल छाया में सुखाए जाते हैं?	औषधीय पादप उत्पाद के गीला होने पर इसे छाया में सुखाने की ज़रूरत होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बाह्य नमी से छुटकारा पाने के लिए इसे छाया में स्थानांतरित करने से पहले धूप में सुखाना पड़े।	महत्वपूर्ण
4.3.3	खुली धूप या हवा से सुखाने के मामले में, क्या औषधीय पादप उत्पाद को सुखाने वाले फ्रेम पर पतली परत में फैलाया जाता है?	उत्पादित पौधे को या तो सुखाने के फ्रेम पर या कपड़े की चादर या तिरपाल पर सूखाया जाना चाहिए न कि ज़मीन पर। उपज को भली-भांति सुखाने के लिए नियमित अंतराल पर हिलाते-डुलाते रहना चाहिए और बारिश से बचाना चाहिए।	मामूली
4.3.4	क्या सुखाने के चक्र (धूप में या छाया में सुखाना) में, शाम के समय सामग्री को ढके हुए या आंशिक रूप से ढके हुए स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है?	सुखाने के दौरान उत्पादन शाम के समय ढके हुए स्थान के नीचे रखना चाहिए। यह अभ्यास रात कोहरे, ओस, अप्रत्याशित रात की बूंदों आदि के अवांछनीय जोखिम को रोकता है।	मामूली
4.3.5	जहां सुखाने के कृत्रिम साधन जैसे कि ओवन या गर्म हवा का उपयोग किया जाता है, तो क्या मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है?	खेत स्तर पर शुरूआत से पहले गुणवत्ता पर उनके समग्र प्रभाव के लिए प्रक्रियाओं को मानकीकृत और मान्य किया जाना चाहिए। इस तरह से सुखाने में तापमान सीमा और समयावधि दर्ज की जानी चाहिए और अभिलेखित की जानी चाहिए।	महत्वपूर्ण
5	**पैकेजिंग एवं भंडारण**		
5.1	**पैकेजिंग**		
5.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद से भरे हुए डिब्बों को ऊष्मा, आर्द्रता तथा तापमान से सुरक्षित रखा जाता है और उन्हें दूषित होने से बचाने की व्यवस्था की जाती है?	उत्पादन की प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट पैकेजिंग आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। अनुलग्नक C में दिए गए पैकेजिंग विकल्प को अपनाया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैग, निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट, रेत या उर्वरक या अन्य रसायनों के भरने के लिए प्रयुक्त बोरों/थैलों को औषधीय उत्पाद को पैक करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
5.1.2	क्या भारी मात्रा में सामग्री (जैसे कि शंखपुष्पी, भृंगराज, भूमिअम्लकी इत्यादि) के रखरखाव के लिए मानवीय/यांत्रिक रूप से संचालित कॉम्पैक्टर का उपयोग करते हुए कॉम्पैक्शन / बेल पैकिंग की जाती है?	बेल पैकिंग की जानी चाहिए। इससे समुदायों को भंडारण क्षेत्र की ज़रूरत में कमी करने में मदद मिलती है और इससे परिवहन लागत में भी कमी आती है। जहां उत्पादन की मात्रा अधिक हो, वहां कम्पेक्टर का उपयोग किया जाना चाहिए।	मामूली
5.1.3	क्या औषधीय पादप उत्पादों के प्रत्येक डिब्बे पर समुचित लेबल लगाया गया है?	लेबल में औषधीय पादप उत्पाद की समस्त आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। अनुलग्नक D में दिए गए प्रोटोटाइप लेबल अपनाया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
5.2	**भंडारण**		
5.2.1	क्या औषधीय पादप उत्पादों को ऐसे समर्पित भंडारगृहों में भंडारित किया जाता है जिनका निर्माण इस तरह से किया गया है कि चूहों, गिलहरियों, पक्षियों या अन्य पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके और क्या वे नमी, गंदगी व धूल से मुक्त हैं?	औषधीय पादप उत्पादों का भंडारण कभी भी खुले क्षेत्रों में या मवेशियों के शेड के पास नहीं किया जाना चाहिए और भंडारगृह कीटों से मुक्त होना चाहिए। भंडारगृह में अनुमोदित, अस्वीकृत और बिना परीक्षण वाले लॉटों को उचित साइनबोर्ड के साथ रखने का प्राविधान होना चाहिए।	महत्वपूर्ण
5.2.3	क्या औषधीय पादप उत्पादों के सील किए हुए और लेबल लगे हुए डिब्बे ठंडे व शुष्क स्थान पर लकड़ी की पट्टिका पर रखे जाते हैं?	कभी भी कंटेनरों / पैकेजों, खासकर टाट के बोरों, जूट के बोरों, बुने हुए बोरों, नालीदार बॉक्स आदि को सीधे फर्श पर न रखें।	महत्वपूर्ण
5.2.4	क्या भंडारण प्रबंधन - प्राप्ति, भंडारण तथा जारी करने / डिस्पैच करने के मामले में समुचित सावधानी बरती जाती है?	प्रत्येक प्रजाति के लिए समर्पित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए और दो प्रजातियों व एक ही प्रजाति के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यक्तियों और मशीनरी के सुचारू आवागमन सुनिश्चित तथा किसी भी प्रकार के क्रॉस-संदूषण से बचाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए। दो या दो से अधिक औषधीय पौधों के कंटेनरों को कभी भी एक-दूसरे के ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए	महत्वपूर्ण
5.2.5	क्या प्रत्येक लॉट के आवागमन के लिए इसके लेबल पर निधानी आयु तथा FIFO (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) की घोषणा होती है?	उत्पाद के प्रत्येक लॉट लेबल पर पर संग्रहण का महीना अंकित होना चाहिए। पुराने स्टॉक के भंडारण को कम करने के लिए फीफो आधार पर उत्पादित / आपूर्ति की जानी चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
5.2.6	क्या आर्द्रताग्राही तथा वाष्पशील सामग्री के भंडारण के लिए अलग से जलवायु (तापमान तथा आर्द्रता) नियंत्रित केन्द्र का प्राविधान किया गया है?	आर्द्रताग्राही सामग्री और वाष्पशील सामग्री के भंडारण के लिए अलग-अलग जलवायु (तापमान और आर्द्रता) नियंत्रित केन्द्र का प्राविधान होना चाहिए~~?~~।	मामूली
5.2.7	क्या रेजिन, गम-रेजिन, तेल इत्यादि के जैसे ज्वलनशील उत्पाद बंद डिब्बों में एकांत में स्थित स्थानों पर रखे जाते हैं?	ज्वलनशील सामग्रियों के प्रत्येक कंटेनर पर उचित लेबल लगाया जाना चाहिए और इसे बंद कंटेनरों में अलग स्थान पर रखा जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
6	**विभिन्न संचालनों में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी तथा उपकरण**		
6.1	क्या मापन उपकरण निर्धारित कार्यक्रम के अुनसार अंशांकित किए जाते हैं और अंशांकन प्रमाणपत्र/रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं?	अंशांकन अनुसूची उपलब्ध होनी चाहिए और भार और माप विभाग या एक मान्यता प्राप्त अंशांकन एजेंसी से प्राप्त अनुसूची के अनुसार अंशांकन रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।	महत्वपूर्ण
6.2	क्या खुदाई, कटाई, छंटाई, और छीलने तथा अन्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण उपयुक्त हैं तथा विषरहित सामग्री से बने हैं?	खुदाई, कटाई, छंटाई, छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण विषरहित सामग्री से बने होने चाहिए और उन्हें उचित कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। कटाई की जाने वाली फसल के धातु संदूषण का खतरा उत्पन्न करने वाले उपकरणों से बचा जाना चाहिए	अतिमहत्वपूर्ण
6.3	क्या उपकरण व टूल, विशेष रूप से वे जो उत्पाद के सीधे संपर्क में आते हैं, साफ-सुथरा हैं तथा किसी संभावित संदूषकों जैसे कि पेंट, लुब्रिकैंट इत्यादि से मुक्त हैं, तथा इन्हें एक-दूसरे से संदूषित होने से बचाने के लिए उपयुक्त कार्यकारी स्थितियों में बनाया जाता है?	यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद के सीधे संपर्क में आने वाले उपकरणों के कुछ हिस्सों को स्वच्छ और किसी भी संभावित संदूषक जैसे पेंट, लुब्रिकैंट आदि से मुक्त किया जाए, उपकरणों और औज़ारों का रखरखाव व सफाई अनुसूची का उपयोग किया जाना चाहिए। कटाई, कर्तन, छलकाव या छीलने जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को शेष अवशेषों के साथ क्रॉस-संदूषण से बचने के लिए उपयोग के बाद पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
7	**आइडेंटिफिकेशन (पहचान) एवं ट्रेसेबिलिटी (जिसका पता लगाया जा सके) के लिए अभिलेखन**		
7.1	**आइडेंटिफिकेशन (पहचान)**		
7.1.1	क्या पैकेटों/डिब्बों पर उत्पाद का नाम, पादप के भाग, कटाई का माह व वर्ष तथा संग्रहण केन्द्र के नाम का स्पष्ट उल्लेख है?	प्रत्येक पैक को कानूनी रूप से व्यापार गतिविधियों / विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले विवरण के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश अनुलग्नक D में दिए गए हैं।	महत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
7.2	**ट्रेसेबिलिटी (जिसका पता लगाया जा सके**		
7.2.1	क्या संग्रहण केन्द्र से पादप उत्पाद के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि उसे कहां से संग्रह किआ गया है?	एक प्रलेखित आइडेंटीफिकेशन व ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जो उत्पाद को संग्रहण केन्द्र का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है और यह पता लगाता है कि उसे कहां से संग्रहीत किया गया है और इसके अतिरिक्त अगले ग्राहक के बारे में भी पता लगाया जाता है। कटाई के रिकॉर्ड के लिए कटाई की जानकारी बैच से जुड़ी होनी चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण
7.3	**अभिलेखन**		
7.3.1	क्या पादप प्रजातियों, संग्रहण के क्षेत्र, तथा संग्रहण के समय, अधिनियमन सूचना इत्यादि के बारे में मूलभूत सूचना प्राप्त की गई है?	ऐसे अभिलेख उपलब्ध होने चाहिए जिनमें इनकी पहचान, इतिहास, प्राकृतिक स्थल, संग्रहण का समय, ग्रेड इत्यादि की जानकारी मौजूद हो। इस तरह के पासपोर्ट डेटा को रिकॉर्ड करने की रूपरेखा अनुलग्नक ई में दी गई है, जिसे संग्राहक अपना सकते हैं।	अतिमहत्वपूर्ण
7.3.2	क्या उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली समस्त प्रक्रियाओं / घटनाओं का उल्लेख किया गया है?	फसल की कटाई के समय ऐसी समस्त चरम स्थितियों (उदाहरण के लिए सूखा) के समस्त रिकॉर्ड तैयार किए जाने चाहिए जो उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं ।	महत्वपूर्ण
7.3.3	क्या विभिन्न अनुबंधों से संबंधित अभिलेख तैयार किए गए हैं?	संग्राहकों (उदाहरण के लिए सहकारी सोसाइटी, ग्राम पंचायत इत्यादि) के व्यापारियों व उत्पादकों के साथ होने वाले अनुबंधों के समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध होने चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण
7.3.4	क्या कृत्रिम रूप से सुखाने के लिए शुष्कन स्थितियों और तापमान रेंज का रिकॉर्ड तैयार किया गया है?	संग्रहण केन्द्र पर कृत्रिम रूप से सुखाने के लिए शुष्कन स्थितियों और तापमान रेंज का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।	महत्वपूर्ण
7.3.5	क्या अधिकारियों से ली गई समस्त अनुमतियों के अभिलेख तैयार किए गए हैं? फसल की अवधि के दौरान चरम स्थितियों (जैसे सूखे) जैसी प्रक्रियाओं या घटनाओं के सभी रिकॉर्ड जो उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, को बनाए रखा जाना चाहिए।	पादप उत्पादों की कटाई, प्रसंस्करण या भंडारण के लिए अधिकारियों से प्राप्त अनुमति / अनुमति के उचित रिकॉर्ड, ऐसे परमिट के उचित रिकॉर्ड बनाए रखे जाने चाहिए। इन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए और नियामकों, व्यापारियों और विनिर्माण व प्रमाणन एजेंसियों द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए।	अतिमहत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
8	**प्रशिक्षण एवं निगरानी**		
8.1	**प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण :**		
8.1.1	क्या संग्राहकों को पर्यावरण पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के संग्रहण के लिए (i) सामान्य औषधीय पादपों, (ii) अच्छी संग्रहण प्रक्रियाओं, तथा (iii) स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में कोई प्रशिक्षण दिया गया है?	संग्राहकों को प्रशिक्षित करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए प्राविधान किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण में प्रजातियों और उनके उत्पादों की पहचान, पौधे के घटनाविज्ञानी चरणों की समझ, व्यापक आंतरिक (जैसे अंत:काष्ठ और रसदार लकड़ी) और बाहरी संरचनाओं (जैसे कि राइटिडोम) के साथ-साथ परागण, पुनर्जनन आदि जैसी प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अधिमूल्यन शामिल होनी चाहिए।	महत्वपूर्ण
8.1.2	क्या संग्राहकों को औषधीय पादप उत्पादों की कटाई का पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जानकारी है?	संग्राहकों को संग्रह की विभिन्न स्थितियों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जो प्राकृतिक स्थलों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती हैं। उन्हें पर्यावरण संरक्षण और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्देश दिया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
9	**कामगारों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा तथा उनका कल्याण**		
9.1	**जोखिम प्रबंधन**		
9.1.1	क्या संग्राहकों के पास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यकारी स्थितियों के लिए लिखित जोखिम मूल्यांकन उपलब्ध है?	क्षेत्र में परिवर्तन होने पर जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए।	महत्वपूर्ण
9.1.2	क्या संग्राहकों के पास लिखित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता नीतियां एवं प्रक्रियाएं हैं?	स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता नीति में कम से कम जोखिम मूल्यांकन में पहचाने गए बिंदु शामिल होने चाहिए। इसमें दुर्घटना और आपातकालीन प्रक्रिया, स्वच्छता प्रक्रिया, काम की स्थिति में पहचाने गए किसी भी जोखिम से निपटना आदि शामिल हो सकता है।	महत्वपूर्ण
9.1.3.	क्या संग्राहकों के स्वास्थ्य के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है?	परागकणों, पौधों के निकास, और सुगंध जैसे प्राकृतिक अवयवों से एलर्जी वाले व्यक्तियों को जंगल से संग्रह से बचना चाहिए। खुले घावों, सूजन और त्वचा संक्रमण वाले लोगां को उन क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए, जहां प्राथमिक प्रसंस्करण हो रहा है।	महत्वपूर्ण
9.2	**स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण**		

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
9.2.1	क्या संग्राहकों व कर्मचारियों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण लिया है और क्या उन्हें जोखिम मूल्यांकन के अनुसार निर्देश दिए गए हैं?	संग्राहक दृश्यावलोकन के माध्यम से जिम्मेदारियों और कार्यों में सक्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि निरीक्षण के समय कोई गतिविधियां नहीं होती हैं, तो निर्देशों का प्रमाण होना चाहिए।	महत्वपूर्ण
9.2.2	जब संग्रहण गतिविधियां चल रही होती हैं, तब क्या प्रत्येक संग्रहण केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित उपयुक्त संख्या में (कम से कम एक व्यक्ति) लोग उपस्थित रहते हैं?	जब संग्रहण गतिविधियां चल रही होती हैं, तब प्रत्येक संग्रहण केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित कम से कम एक व्यक्ति अवश्य उपस्थित होना चाहिए?	महत्वपूर्ण
9.3	**जोखिम एवं प्राथमिक चिकित्सा**		
9.3.1	क्या दुर्घटना एवं आकस्मिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं; क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है और संग्रहण गतिविधियों में शामिल समस्त लोगों को उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है?	दुर्घटना से निपटने की स्थायी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से दृश्यमान और अधिगम्य स्थान में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये निर्देश प्रमुख भाषा में उपलब्ध हैं। प्रक्रियाओं को निम्नलिखित की पहचान करनी चाहिए: - संग्रहण केन्द्र का पता - संपर्क सूत्र - संबंधित फोन नंबरों की अद्यतन सूची जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अस्पताल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि - गोदाम व ऑफिस में अग्निशामक का ठिकाना - दुर्घटनाओं व घटनाओं की सूचना देने का तरीका	महत्वपूर्ण
9.3.2	क्या संभावित जोखिमों को स्पष्ट रूप से चेतावनी चिन्हों द्वारा चिन्हित किया गया है और उन्हें यथास्थान लगाया गया है? ?	स्थायी और स्पष्ट संकेत संभावित खतरों को इंगित करने वाले होने चाहिए। चेतावनी संकेत स्थानीय भाषा में मौजूद होने चाहिए।	मामूली
9.4	**सुरक्षात्मक पोषाक / उपकरण**		
	क्या सभी संग्राहकों को विधिक ज़रूरतों और/या लेबल निर्देशों या सक्षम अधिकारी के विनिर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त सुरक्षात्मक पोषाकें उपलब्ध कराई गई हैं?	संग्राहकों को प्राकृतिक स्थलों से उत्पादों को संग्रहीत करते समय उपयुक्त कार्मिक सुरक्षा उपकरण जैसे कि जूते, दस्ताने तथा आंख व नाक की सुरक्षा सामग्री इत्यादि पहनने चाहिए जिनकी लेबल निर्देशों और / या विधिक आवश्यकताओं और / या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में सक्षमता है तथा जिनसे यह भी निर्धारित होता है कि उनकी उपलब्धता है, वे इस्तेमाल किए जाते हैं और मरम्मत की अच्छी स्थिति में हैं।	महत्वपूर्ण

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन मानदंड	अनुपालन का स्तर
10	**रिकॉर्ड का रखरखाव एवं आंतरिक स्व-मूल्यांकन / आंतरिक निरीक्षण**		
10.1	क्या वे समस्त रिकॉर्ड पहुंच में हैं जिनके बारे में बाह्य निरीक्षण के दौरान अनुरोध किया गया था और उन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए तब तक सुरक्षित रखा गया है जब तक विशिष्ट नियंत्रण बिंदुओं में उल्लेखित ज़रूरतें समाप्त नहीं हो जाती हैं?	संग्रह केंद्र प्रथम निरीक्षण की तिथि से कम से कम दो साल तक की तिथि तक का रिकॉर्ड रखते हैं, जब तक कि कानूनी तौर पर लंबी अवधि के लिए ऐसा करने की आवश्यकता न हो।	महत्वपूर्ण
10.2	क्या प्रबंधक इस मानक की ज़रूरत के अनुसार प्रति वर्ष न्यूनतम एक आंतरिक स्व-मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेता है?	इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि निर्माता की जिम्मेदारी के अंतर्गत आंतरिक स्व-मूल्यांकन किया गया है और वार्षिक रूप से रिकॉर्ड किया गया है।	महत्वपूर्ण
10.3	क्या आंतरिक स्व-मूल्यांकन के दौरान पाई गई गैर-अनुरूपता के परिणामस्वरूप प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है?	प्रभावी सुधारात्मक कार्यवाहियों का अभिलेखन किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है।	महत्वपूर्ण

तालिका 02 स्व-मूल्यांकन के लिए जांच-सूची

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
1	**स्थल का चयन**				
1.1	औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण के लिए स्थल विषैले तत्वों से मुक्त होना चाहिए और प्रदूषण संभावित नहीं होना चाहिए।	महत्वपूर्ण			
1.2	क्या स्थल भारी वाहन यातायात वाली सड़क के निकट है?	मामूली			
1.3	क्या स्थल उन प्रजातियों के लिए विश्वसनीय स्रोत है जिनका संग्रहण किया जाना है?	महत्वपूर्ण			
1.4	क्या स्थल पर अपेक्षित प्रजातियों की पर्याप्त मौजूदगी है?	महत्वपूर्ण			
2	**अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमन का अनुपालन**				
2.1	**सामान्य**				
2.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद का संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण तथा बिक्री मौजूदा कानूनों के अनुरूप किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.1.2	क्या औषधीय पादप उत्पाद का संग्रहण, प्रक्रमण, भंडारण तथा बिक्रय भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के अनुरूप किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.2	**अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमन एवं दिशानिर्देश**				
2.2.1	क्या जंगल से किसी औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण के दौरान CITES द्वारा स्थापित प्राविधानों का अनुपालन किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.2.2	क्या औषधीय पादप उत्पाद के संग्रहण प्रबंधकों तथा संग्राहकों का उद्देश्य निर्यात करना है, यदि हां, तो क्या वे आयात करने वाले देशों के कानूनों का अनुपालन करते हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
2.3	**राष्ट्रीय अधिनियमन**				
2.3.1.	क्या भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002, अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का अनुपालन किया जाता है?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.3.2	क्या संग्राहक तथा संग्रहण प्रबंधक इस प्रकार के अधिनियमों, कानूनों से अवगत हैं और उनमें उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करते हैं?	महत्वपूर्ण			
2.3.3	क्या संग्राहक तथा संग्रहण प्रबंधक आयात-निर्यात नीति तथा इस नीतिगत अभिलेख में उल्लेखित प्राविधानों के अनुपालन के लिए निर्यात की नकारात्मक सूची से अवगत हैं?	महत्वपूर्ण			
2.4	**स्थानीय अधिनियमन**				
2.4.1	क्या संग्राहक/संग्रहण प्रबंधक विशिष्ट क्षेत्रों में औषधीय पादप उत्पादों के संग्रहण, पारगमन तथा बिक्री को नियंत्रित करने वाले स्थानीय अधिनियमन से अवगत हैं और क्या वे उनका अनुपालन करते हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
2.5	**संग्रहणों के लिए अनुमति**				
2.5.1	क्या संग्राहकों / संग्रहण प्रबंधकों ने सक्षम एजेंसी से औषधीय पादप उत्पादों के संग्रहण, परिग्रह, पारगमन तथा बिक्री के लिए आवश्यकतानुसार विधिक रूप से लिखित पूर्व अनुमति ली है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3	**कृषि उपज की कटाई / संग्रहण का प्रबंधन**				
3.1	**गुणवत्ता विवेचन**				
3.1.1	**प्रजातियों की वानस्पतिक प्रामाणिकता** : क्या पादप प्रजातियों को जंगल से संग्रहीत करने से पहले उनकी वानस्पतिक पहचान (वंश, प्रजाति इत्यादि) की गई है? क्या उस पादप की पहचान करके रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिससे उत्पाद प्राप्त किया गया है?	अतिमहत्वपूर्ण			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
3.1.2	**नए पौधों की वानस्पतिक प्रामाणिकता** : संग्रहीत किए जाने वाले नए औषधीय पादप प्रजातियों को कैसे चिन्हित किया जाता है, जिनका किसी औषधकोश या संदर्भ पुस्तक में विनिबन्ध नहीं मौजूद है?	महत्वपूर्ण			
3.1.3	क्या फील्ड कलेक्शन प्रोटोकॉल उपलब्ध है?	महत्वपूर्ण			
3.1.4	प्रजातियों का औषधीय मान ऐसे संघों से प्राप्त होने जैसे कि कीटों के पित्त, अगर की लकड़ी इत्यादि, की स्थिति को छोड़ कर, क्या वांछित पादप प्रजातियों के केवल स्वस्थ भागों को काटा जाता है।	महत्वपूर्ण			
3.1.5	**फसल की उचित** फेनोलॉजिकल विकास **अवस्था में कटाई :** औषधीय पादप उत्पाद में जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों की इष्टतम मात्रा सुनिश्चित करने के लिए, क्या फसल की कटाई सही फेनोलॉजिकल विकास चरण में की जाती है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.1.6	**संग्रहण के लिए मौसम की स्थितियां :** क्या कटाई का कार्य मौसम की उचित स्थितियों में किया गया है? जब आर्द्र स्थितियों में कटाई अनिवार्य रूप से करनी पड़े, तो क्या उत्पाद को शीघ्र सुखाने के लिए समुचित प्राविधान किए जाते हैं? क्या ओस से बचने के लिए सुबह जल्दी संग्रहण नहीं किया जाता है?	महत्वपूर्ण मामूली			
3.1.7	**उत्पाद की छंटाई** : क्या औषधीय पादप उत्पाद की छंटाई किसी कम पकी हुई या अधिक पकी हुई फसल से किया जाता है, जिससे लॉट की समग्र गुणवत्ता में कमी हो सकती है? जब व्यापार उत्पादों की ग्रेड के आधार पर होता है, तो क्या छंटाई के मापदंड और ग्रेडिंग निष्पक्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं?	महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण			
3.1.8	**बाह्य पदार्थ**:				

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
	क्या औषधीय पादप उत्पादों के साथ बाह्य पदार्थों के किसी भी आकस्मिक मिश्रण से बचाने की व्यवस्था की जाती है जैसे कि मिट्टी के कण, पत्ते, तने, लकड़ी के टुकड़े या खाद्य पदार्थों के जैसे जैविक पदार्थ इत्यादि? क्या संग्राहक एक साथ काटे जाने वाले या प्रसंस्कृत किए जाने वाले औषधीय पादप उत्पादों को एक-दूसरे में मिश्रित होने व संदूषित होने से बचाने के लिए ज़रूरी सावधानी बरतते हैं?	महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण			
3.1.9	**विषैले खर-पतवार मिश्रित होना :** फसल की कटाई के समय क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि औषधीय पादपों के मध्य उगे विषैले खर-पतवार उत्पाद के साथ मिश्रित न हों?	महत्वपूर्ण			
3.2	**पर्यावरणीय विवेचन**				
3.2.1	**प्रजातियों का संरक्षण स्तर** क्या नियंत्रक लोगों (उदाहरण के लिए वन एवं वन्य जीव क्षेत्र के अधिकारी) और संग्राहकों को वांछित प्रजातियों के पौधों के वर्तमान संरक्षण स्तर की जानकारी है?	अतिमहत्वपूर्ण			
3.2.2	**संवेदनशील प्रलातियां** : क्या संग्रह प्रबंधकों को संग्रहण स्थलों में उपलब्ध स्थानीय पादप प्रजातियों के बारे में जानकारी है?	महत्वपूर्ण			
3.2.3	**प्रजातियों का वितरण** : क्या किन्हीं पादप प्रजातियों के संग्रहण की मात्रा, संग्रहण वाले क्षेत्र में प्रजातियों के वितरण के अनुपात में होता है?	महत्वपूर्ण			
3.2.4	**प्रजातियों का पुनर्जनन** : क्या औषधीय पादप प्रजातियों की कटाई उनके पुनर्जनन की क्षमता की सीमाओं के भीतर की जाती है?	महत्वपूर्ण			
3.2.5	**आधारभूत मूल्यांकन एवं निगरानी**:				

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
3.2.5 a	क्या जंगल में औषधीय पादप उत्पाद की उपलब्धता का आधारभूत मूल्यांकन किया गया है?	महत्वपूर्ण			
3.2.5.b	क्या फसल के स्थायी स्तर पर मूल्यांकन किए गए हैं?	महत्वपूर्ण			
3.2.6	**संग्रहण की आवृत्ति :** क्या किसी औषधीय पादप उत्पाद की मांग होने के बावजूद उसके संग्रहण चक्र में पादप प्रजातियों या उत्पाद के पुनर्जनन चक्र के साथ समकालिक करने के लिए पर्याप्त अंतराल रखा जाता है?	मामूली			
3.2.7	**स्रोत पौधे के लिए नुकसान को न्यूनतम करना :** पौधों के वांछित भाग, जैसे कि पत्ते, फल, फूल, बीज इत्यादि, संग्रहीत करते समय क्या ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि पौधों के इन भागों की कटाई के समय पौधों को न्यूनतम नुकसान हो?	मामूली			
3.2.8	**प्राकृतिक ठिकाने का प्रबंधन :** फसल की कटाई के समय, क्या संग्राहक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रजातियों के प्राकृतिक ठिकाने को न्यूनतम क्षति पहुंचाना सुनिश्चित करते हैं?	महत्वपूर्ण			
3.3	**सामाजिक सोच-विचार :**				
3.3.1	**प्रजातियों का स्थानीय इस्तेमाल :** क्या जंगल से किया जाने वाला औषधीय पादप उत्पाद का संगठित संग्रहण स्थानीय लोगों के वास्तविक अधिकारों तथा प्रजातियों की उपलब्धता को प्रभावित करता है?	महत्वपूर्ण			
3.3.2	**अपक्षपात**				
3.3.2.1	क्या औषधीय पादप उत्पादों के संग्राहक अपने प्रयासों के अनुरूप मूल्य पाते हैं?	महत्वपूर्ण			
3.3.3.2	क्या औषधीय पौधों के उत्पादों के सभी हितधारकों द्वारा पालन किए जाने वाले उचित और समान लाभ साझा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है?	महत्वपूर्ण			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
3.3.4	**सांस्कृतिक सोच-विचार :** क्या औषधीय पादप	मामूली			
	क्या औषधीय पादप उत्पाद की कटाई और कटाई के बाद का प्रबंधन नैतिक संहिता और स्थानीय समुदाय और उस क्षेत्र के नियमों के अनुसार किया जाता है जिसमें वे गतिविधियाँ संचालित होती हैं और इन मूल्यों को सम्मान दिया जाता है**?**				
4	**फसल की कटाई के बाद का प्रबंधन**				
4.1	**सफाई**				
4.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद की कटाई के बाद उत्पाद की गुणवत्ता के संरक्षण व निधानी आयु में बढ़ोत्तरी के लिए समयबद्ध व उचित प्रसंस्करण किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.2	**छंटाई**				
4.2.1	**क्या उत्पाद के साथ मिश्रित असंबद्ध सामग्री को हटाया जाता है?**	महत्वपूर्ण			
4.2.2	क्या काटी गई फसल, जो कि आकृतिक रूप से मोटी, मांसल या बड़े आकार की होती है, को समुचित रूप से सुखाने के लिए छोटे-छोटे / महीन टुकड़ों में काटा जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.3	**सुखाना**				
4.3.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद को कहीं प्रेषित करने या भंडारण हेतु पैकिंग करने से पहले समुचित रूप से सुखाया जाता है?	महत्वपूर्ण			
4.3.2	जहां उत्पाद का निर्माण पौधे के कोमल तथा सुगंधित भाग से होता है, क्या वे केवल छाया में सुखाए जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
4.3.3	खुली धूप या हवा से सुखाने के मामले में, क्या औषधीय पादप उत्पाद को सुखाने वाले फ्रेम पर पतली परत में फैलाया जाता है?	मामूली			
4.3.4	क्या सुखाने के चक्र (धूप में या छाया में सुखाना) में, शाम के समय सामग्री को ढके हुए या आंशिक रूप से ढके हुए स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है?	मामूली			
4.3.5	जहां सुखाने के कृत्रिम साधन जैसे कि ओवन या गर्म हवा का उपयोग किया जाता है, तो क्या मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है?	महत्वपूर्ण			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
5	**पैकेजिंग एवं भंडारण**				
5.1	**पैकेजिंग**				
5.1.1	क्या औषधीय पादप उत्पाद से भरे हुए डिब्बों को ऊष्मा, आर्द्रता तथा तापमान से सुरक्षित रखा जाता है और उन्हें दूषित होने से बचाने की व्यवस्था की जाती है?	अतिमहत्वपूर्ण			
5.1.2	क्या भारी मात्रा में सामग्री (जैसे कि शंखपुष्पी, भृंगराज, भूमिअम्लकी इत्यादि) के रखरखाव के लिए मानवीय/यांत्रिक रूप से संचालित कॉम्पैक्टर का उपयोग करते हुए कॉम्पैक्शन / बेल पैकिंग की जाती है?	मामूली			
5.1.3	क्या औषधीय पादप उत्पादों के प्रत्येक डिब्बे पर समुचित लेबल लगाया गया है?	महत्वपूर्ण			
5.2	**भंडारण**				
5.2.1	क्या औषधीय पादप उत्पादों को ऐसे समर्पित भंडारगृहों में भंडारित किया जाता है जिनका निर्माण इस तरह से किया गया है कि चूहों, गिलहरियों, पक्षियों या अन्य पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके और क्या वे नमी, गंदगी व धूल से मुक्त हैं?	महत्वपूर्ण			
5.2.3	क्या औषधीय पादप उत्पादों के सील किए हुए और लेबल लगे हुए डिब्बे ठंडे व शुष्क स्थान पर लकड़ी की पट्टिका पर रखे जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
5.2.4	क्या भंडारण प्रबंधन - प्राप्ति, भंडारण तथ जारी करने / डिस्पैच करने के मामले में समुचित सावधानी बरती जाती है?	महत्वपूर्ण			
5.2.5	क्या प्रत्येक लॉट के आवागमन के लिए इसके लेबल पर निधानी आयु तथा FIFO (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) की घोषणा होती है?	अतिमहत्वपूर्ण			
5.2.6	क्या आर्द्रताग्राही तथा वाष्पशील सामग्री के भंडारण के लिए अलग से जलवायु (तापमान तथा आर्द्रता) नियंत्रित केन्द्र का प्राविधान किया गया है?	मामूली			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
5.2.7	क्या रेजिन, गम-रेजिन, तेल इत्यादि के जैसे	महत्वपूर्ण			
	ज्वलनशील उत्पाद बंद डिब्बों में एकांत में स्थित स्थानों पर रखे जाते हैं?				
6	**विभिन्न संचालनों में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी तथा उपकरण**				
6.1	क्या मापन उपकरण निर्धारित कार्यक्रम के अुनसार अंशांकित किए जाते हैं और अंशांकन प्रमाणपत्र/रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं?	महत्वपूर्ण			
6.2	क्या खुदाई, कटाई, छंटाई, और छीलने तथा अन्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण उपयुक्त हैं तथा विषरहित सामग्री से बने हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
6.3	क्या उपकरण व टूल, विशेष रूप से वे जो उत्पाद के सीधे संपर्क में आते हैं, साफ-सुथरा हैं तथा किसी संभावित संदूषकों जैसे कि पेंट, लुब्रिकैंट इत्यादि से मुक्त हैं, तथा इन्हें एक-दूसरे से संदूषित होने से बचाने के लिए उपयुक्त कार्यकारी स्थितियों में बनाया जाता है?	महत्वपूर्ण			
7	**आइडेंटिफिकेशन (पहचान) एवं ट्रेसेबिलिटी (जिसका पता लगाया जा सके) के लिए अभिलेखन**				
7.1	**आइडेंटिफिकेशन (पहचान)**				
7.1.1	क्या पैकेटों/डिब्बों पर उत्पाद का नाम, पादप के भाग, कटाई का माह व वर्ष तथा संग्रहण केन्द्र के नाम का स्पष्ट उल्लेख है?	महत्वपूर्ण			
7.2	**ट्रेसेबिलिटी (जिसका पता लगाया जा सके)**				
7.2.1	क्या संग्रहण केन्द्र से पादप उत्पाद के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि उसे कहां से संग्रह किआ गया है?	अतिमहत्वपूर्ण			
7.3	**अभिलेखन**				
7.3.1	क्या पादप प्रजातियों, संग्रहण के क्षेत्र, तथा संग्रहण के समय, अधिनियमन सूचना इत्यादि के बारे में मूलभूत सूचना प्राप्त की गई है?	अतिमहत्वपूर्ण			
7.3.2	क्या उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली समस्त प्रक्रियाओं / घटनाओं का उल्लेख किया गया है?	महत्वपूर्ण			
7.3.3	क्या विभिन्न अनुबंधों से संबंधित अभिलेख तैयार किए गए हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
7.3.4	क्या कृत्रिम रूप से सुखाने के लिए शुष्कन स्थितियों और तापमान रेंज का रिकॉर्ड तैयार किया गया है?	महत्वपूर्ण			
7.3.5	क्या अधिकारियों से ली गई समस्त अनुमतियों के अभिलेख तैयार किए गए हैं?	अतिमहत्वपूर्ण			
8	प्रशिक्षण एवं निगरानी				
8.1	**प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण** :				
8.1.1	क्या संग्राहकों को पर्यावरण पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के संग्रहण के लिए (i) सामान्य औषधीय पादपों, (ii) अच्छी संग्रहण प्रक्रियाओं, तथा (iii) स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में कोई प्रशिक्षण दिया गया है?	महत्वपूर्ण			
8.1.2	क्या संग्राहकों को औषधीय पादप उत्पादों की कटाई का पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जानकारी है?	महत्वपूर्ण			
9	**कामगारों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा तथा उनका कल्याण**				
9.1	**जोखिम प्रबंधन**				
9.1.1	क्या संग्राहकों के पास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यकारी स्थितियों के लिए लिखित जोखिम मूल्यांकन उपलब्ध है?	महत्वपूर्ण			
9.1.2	क्या संग्राहकों के पास लिखित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता नीतियां एवं प्रक्रियाएं हैं?	महत्वपूर्ण			
9.1.3.	क्या संग्राहकों के स्वास्थ्य के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है?	महत्वपूर्ण			
9.2	**स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण**				
9.2.1	क्या संग्राहकों व कर्मचारियों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण लिया है और क्या उन्हें जोखिम मूल्यांकन के अनुसार निर्देश दिए गए हैं?	महत्वपूर्ण			
9.2.2	जब संग्रहण गतिविधियां चल रही होती हैं, तब क्या प्रत्येक संग्रहण केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित उपयुक्त संख्या में (कम से कम एक व्यक्ति) लोग उपस्थित रहते हैं?	महत्वपूर्ण			

मापदंड	नियंत्रण मानदंड	अनुपालन का स्तर	अनुपालन		टिप्पणी
			हां	नहीं	
9.3	**जोखिम एवं प्राथमिक चिकित्सा**				
9.3.1	क्या दुर्घटना एवं आकस्मिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं; क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है और संग्रहण गतिविधियों में शामिल समस्त लोगों को उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है?	महत्वपूर्ण			
9.3.2	क्या संभावित जोखिमों को स्पष्ट रूप से चेतावनी चिन्हों द्वारा चिन्हित किया गया है और उन्हें यथास्थान लगाया गया है?	मामूली			
9.4	**सुरक्षात्मक पोषाक / उपकरण**				
	क्या सभी संग्राहकों को विधिक ज़रूरतों और/या लेबल निर्देशों या सक्षम अधिकारी के विनिर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त सुरक्षात्मक पोषाकें उपलब्ध कराई गई हैं?	महत्वपूर्ण			
10	**रिकॉर्ड का रखरखाव एवं आंतरिक स्व-मूल्यांकन / आंतरिक निरीक्षण**				
10.1	क्या वे समस्त रिकॉर्ड पहुंच में हैं जिनके बारे में बाह्य निरीक्षण के दौरान अनुरोध किया गया था और उन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए तब तक सुरक्षित रखा गया है जब तक विशिष्ट नियंत्रण बिंदुओं में उल्लेखित ज़रूरतें समाप्त नहीं हो जाती हैं?	महत्वपूर्ण			
10.2	क्या प्रबंधक इस मानक की ज़रूरत के अनुसार प्रति वर्ष न्यूनतम एक आंतरिक स्व-मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेता है?	महत्वपूर्ण			
	क्या सभी संग्राहकों को विधिक ज़रूरतों और/या लेबल निर्देशों या सक्षम अधिकारी के विनिर्देशों के अनुपालन में उपयुक्त सुरक्षात्मक पोषाकें उपलब्ध कराई गई हैं?	महत्वपूर्ण			
10.3	क्या आंतरिक स्व-मूल्यांकन के दौरान पाई गई गैर-अनुरूपता के परिणामस्वरूप प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है?	महत्वपूर्ण			

अनुलग्नक A

इस मानक में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की परिभाषाएं

1. **कीमोटाइप:** एक ही प्रजाति के वै पौधे जो रासायनिक रूप से भिन्न हैं लेकिन अन्य चीज़ों में अविभेद्य होते हैं।

2. **संग्रहणकर्ता/संग्राहक :** ऐसा व्यक्ति जो औषधीय पादप उत्पाद को जीवित या मृत औषधीय पादप प्रजातियों से अपनी आजीविका या व्यापार के लिए कटाई करके संग्रहीत करता है।

3. **प्रदूषण/संदूषण :** औषधीय पादप उत्पादों की कटाई, प्रसंस्करण, सुखाने, पैकेजिंग, भंडारण या परिवहन के समय जैविक या अजैविक मूल की अवांछित अशुद्धियों की औषधीय पादप उत्पादों में मिलावट।

4. **क्रॉस-संदूषण :** औषधीय पादप उत्पादों का कटाई, प्रसंस्करण, सुखाने, पैकेजिंग, भंडारण या परिवहन के दौरान एक-दूसरे के द्वारा दूषित हो जाना।

5. **बाह्य पदार्थ :** औषधीय पादप उत्पाद के साथ पाया जाने वाला औषधीय पादप उत्पाद के अतिरिक्त कोई पदार्थ। इसमें औषधीय पादप उत्पादों के वे भाग भी शामिल हो सकते हैं जो पादप के अधिकृत रूप से स्वीकार्य भाग नहीं हैं।

6. **जीनोटाइप :** डीएनए प्रोफाइलिंग या जीनोटाइप्स के माध्यम से पहचान करने पर कोशिका, किसी व्यक्ति या किसी जीव या समलक्षणिक रूप से भिन्न प्रजातियों का मामूली परिवर्तनों वाला आनुवंशिक गठन (जीनोम)।

7. **गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़** - औषधीय पादप उत्पादों के लिए गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज़ वे कार्यवाहियां हैं जो जंगली औषधीय पादपों के स्थायी संग्रहण के दौरान उत्पाद की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं।

8. **शकीय संविन्यास**[1]**:** औषधीय पौधों को उपचार के लिए अधीन करके प्राप्त हर्बल तैयारी जैसे - निष्कर्षण, आसवन, अंशांकन, शोधन, सांद्रता, किण्वन और सम्मिश्रण। इनमें कम्यूटेड या पाउडर वाले हर्बल ड्रग्स, टिंचर्स, अर्क, आवश्यक तेल, व्यक्त रस और प्रसंस्कृत एक्सयूडेट शामिल हैं। शाकीय संविन्यास भोजन, पूरक आहार, दवा या कॉस्मेटिक की तैयारी हो सकता है।

9. **उत्पादक :** वह कंपनी या व्यक्ति जो औषधीय पादप उत्पादों का उपयोग मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके ऐसे उत्पादों के लिए शाकीय संविन्यासों या अर्कों या सक्रिय यौगिकों का उत्पादन करती/करता है।

10. **औषधीय पादप/पौधा** : वह पादप प्रजाति, जिसमें कवक, शैवाल, लाइकेन, फर्न शामिल हैं, जो मनुष्यों, पशुओं या दोनों में चिकित्सीय लाभ या स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अकेले या संयोजित रूप से प्रयुक्त होती है।

11. **औषधीय पादप उत्पाद** : किसी भी पौधे की सामग्री - पूरी तरह से, खंडित या कटी हुई, आमतौर पर सूखी हुई लेकिन शायद ही कभी ताज़ी होती हो, जिसे औषधीय पौधों की प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग उत्पादों की आगे की तैयारी के लिए किया जाता है या व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है। इसमें पूरे पौधे, जड़, पत्ते, तना, लकड़ी, छाल, फल, बीज, फूल, पुष्प भाग, एक्स्युडेट, गोंद और राल शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

12. **समलक्षणी :** किसी जीव की उसके जेनेटिक वेक-अप से अलग भौतिक दिखावट।

13. **घटनाविज्ञानी चरण** : प्राकृतिक स्थल के मौसम और माइक्रॉक्लाइमेट के संबंध में पौधे के विकास और विकास के विभिन्न चरण।

14. **कटाई के बाद का प्रबंधन** : औषधीय पादप उत्पाद की मातृ पादप से कटाई के बाद से इसे बिक्री व आगे के इस्तेमाल के लिए तैयार होने तक इसका रखरखाव।

15. **प्राथमिक प्रसंस्करण :** धुलाई, कटाई, छंटाई, छीलने, निचोड़ने, ब्रशिंग, सुखाने और ग्रेडिंग या ऐसी कोई भी अन्य गतिविधि जो औषधीय पौधे को उपयोज्य बनाने के लिए की जाती है।

16. **मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP):** कोई परिचालन करने के लिए निर्देशों वाला अभिलेख।

17. **औषधीय पौधों की स्थायी उपयोगिता** : जंगली औषधीय पौधों का उपयोग, एक तरह से और ऐसी दर पर जो प्रजातियों की दीर्घकालिक गिरावट का कारण नहीं बनती है, इस प्रकार वर्तमान की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की अपनी क्षमता बनाए रखती है।

18. **स्थायी कटाई** : कटाई के ऐसे स्तरों पर और इस तरह से पादप संसाधनों का उपयोग किया जाना कि पौधे वांछित उपज की निरंतर आपूर्ति जारी रखने में सक्षम बने रहें।

19. **जंगली औषधीय पौधे** : कोई ऐसा औषधीय पौधा जो जंगल में स्वयं उगा हो या इसे प्रणालीगत प्रसारण के तौर पर उगाया गया हो या किसी अन्य संसाधन प्रबंधन मध्यवर्तन में उगा हो।

अनुलग्नक B

औषधीय पादप उत्पादों की विविध श्रेणियों के संग्रहण व कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश

औषधीय पादप उत्पाद के रूप में पूरे पौधे का उपयोग किया जाता है। अक्सर यह प्रजातियों के जड़, छाल, तना, पत्तियों, फूल, फल, बीज जैसे एक या एक से अधिक भाग होते हैं, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकार्य उत्पाद का गठन करते हैं। जबकि कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए सामान्य दिशानिर्देश किसी भी संग्रहीत भाग पर लागू होते हैं, विशिष्ट पौधों के भागों को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, अनुलग्नक E।

प्राचीन विज्ञान, जैसे कि आयुर्वेद, विभिन्न मौसमों में पौधों के विभिन्न भागों को संग्रहीत करने की सलाह देता है। ऐसा संभवतः इसलिए कि एक विशिष्ट मौसम में काटे जाने पर जड़ी-बूटियों की इष्टतम गतिविधि को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसके अलावा, एक ऐसे मौसम में पौधों से भागों को संग्रहीत करना जब इससे पौधे को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता हो, यह भी महत्वपूर्ण है।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्रकृति को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने और उपज की गुणवत्ता का अनुकूलन बनाने के लिए उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक विस्तृत SOP लिखा जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों की कटाई करते समय ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है, नीचे दिए गए हैं -

5.1. भूमिगत भाग

6.1.1 वार्षिक पौधों की जड़ों की खुदाई तब की जानी चाहिए जब पौधे भली-भांति विकसित तथा परिपक्व हो चुके हों।

6.1.2 बारहमासी पौधों की जड़ों को पतझड़ के अंत में या वसंत की शुरुआत में काटा जाना चाहिए। द्विवार्षिक पौधों की जड़ों को पहले वर्ष के पतझड़ या दूसरे वर्ष के वसंत में संग्रहीत किया जाना चाहिए।

6.1.3 आवश्यक तेलों से समृद्ध जड़ की छाल को खरोंचों से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक रखरखाव किया जाना चाहिए, जहां तेल आम तौर पर पाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक तेल या इसकी गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।

6.1.4 जब तक कि किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए आवश्यक न हो, जड़ों और प्रकंद जैसे भूमिगत भागों को बीज की शेडिंग के बाद ही एकत्र किया जाना चाहिए। यह प्रजातियों के पुनर्जनन की सुविधा भी देता है।

6.1.5 जहां वांछित उत्पाद मुख्य जड़ है और उखाड़ने की जरूरत है, आसपास के अन्य पौधों की प्रजातियों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके भूमिगत भागों को न्यूनतम संभव खुदाई के साथ एकत्र किया जाना चाहिए।

6.1.6 जब प्रजातियों की जड़ों को प्रकृति में वानस्पतिक रूप से संग्रहीत किया जाता है, तो पुनर्जनन होने देने के लिए स्थल पर पर्याप्त भूमिगत भाग छोड़ा जाना चाहिए।

6.1.7 उत्पाद को पैक करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूमिगत भागों को अच्छी तरह से धोया जाता है और उसके बाद नमी कम करने के लिए सूख जाता है।

6.2 वार्षिक जड़ी-बूटियां / पूरे पौधे

6.2.1 पूरे जड़ी बूटी वाले पौधे, या इसके हवाई हिस्सों को इकट्ठा करते समय, कटाई फूल की कली या फूलों के निकलने के समय में की जानी चाहिए, लेकिन पौधे के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकट पतन से पहले।

6.2.2 किसी दिए गए क्षेत्र में समस्त पादपों को कभी भी काटा नहीं जाना चाहिए। भविष्य के संग्रह की सुविधा के लिए पुनर्जनन के लिए पर्याप्त पादपों को प्रकृति में छोड़ दिया जाना चाहिए।

6.2.3 व्यक्तियों के पादपों से संग्रह का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग तब किया जा सकता है जब लक्षित क्षेत्र बड़ा हो और कटाई बड़े पैमाने पर उस पूरे प्राकृतिक स्थल पर होनी हो।

6.2.4 वार्षिक, विशेष रूप से छोटी जड़ी-बूटियों, लताओं, घासों इत्यादि के दूषित होने के साथ-साथ क्रॉस-संदूषित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इनकी छंटाई संग्रहण के तत्काल बाद आसानी के साथ की जा सकती है, न कि सुखाने के बाद।

6.2.5 सुगंधित पौधों और नाजुक भागों जैसे कि स्त्रीकेसर या अन्य पौधों के पुंकेसर को सीधे धूप में नहीं सुखाया जाना चाहिए। यदि इन्हें गीली स्थितियों में एकत्र किया जाता है, तो बाहरी नमी हटते ही इन्हें छाया में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

6.3 तने की छाल

6.3.2 तने की छाल तब नहीं काटी जानी चाहिए जब पेड़ की वृद्धि (जैसे कि बसंत ऋतु) नई-नई हो।

6.3.3 जहां तक संभव हो, छाल पेड़ों की परिपक्व शाखाओं से लिया जाना चाहिए ताकि मुख्य तना बरकरार रहे। पूरी शाखा या तने से छाल एक बार में नहीं ली जानी चाहिए।

6.3.4 पेड़ों या शाखाओं की छाल को हटाकर चारों ओर के घेरे को नहीं हटाया जाना चाहिए, जब तक कि लकड़ी अन्य उद्देश्यों के लिए गिर न जाए। पानी और पोषक तत्वों के सुचारू संचालन के लिए छाल को अनुदैर्ध्य रूप से (तने की लंबाई के साथ आंशिक रूप से) छीलना चाहिए।

6.3.5 तने की छाल फिर से उसी पेड़ से संग्रहीत नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसके पूरी तरह से सुधार के लिए पर्याप्त समय न दिया गया हो। इसे अपरिपक्व पेड़ों या शाखाओं से संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए

6.3.6 जहां राइटिडोम (पेड़ के तने की सबसे बाहरी परत जो मृत होती है) उत्पाद का उपयोगी भाग न हो, उसे हटा दिया जाना चाहिए।

6.3.7 छाल को पूर्ण रूप से सुखाने के लिए उपयुक्त आकार के टुकड़ों में काटा जाना चाहिए।

6.3.8 विशिष्ट मामलों, जिनमें छाल को किसी अन्य तरीके से सुखाना अनिवार्य न हो, धूल को खुली धूप में सुखाया जाना चाहिए।

6.4 तना या लकड़ी

6.4.2 एक समय में किसी पेड़ या झाड़ी की केवल परिपक्व शाखाओं को ही काटा जाना चाहिए। एक ही पौधे से निकलने वाली शाखाओं की कटाई हर साल नहीं करनी चाहिए। जहां तने का उपयोग औषधीय उत्पादन के रूप में किया जाता है, मुख्य अक्ष को काटा जाना चाहिए।

6.4.3 उपज को तेजी से सुखाने, पैकेजिंग और उपज के भंडारण की सुविधा के लिए छोटे टुकड़ों में काटा जाना चाहिए। लकड़ी के मामले में, सुखाने और पैकेजिंग की सुविधा के लिए सामग्री को छोटे चिप्स या छीलन के रूप में बनाया जा सकता है।

6.4.4 विशिष्ट मामलों, जिनमें तनों या लकड़ी को किसी अन्य तरीके से सुखाना अनिवार्य न हो, धूल को खुली धूप में सुखाया जाना चाहिए।

6.5 पत्तियां

6.5.1 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो तब तक पौधों के पत्तों को उनके फूल से पहले संग्रहीत किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, पत्तियों को परिपक्व पेड़ों से संग्रहीत किया जाना चाहिए। जहां पत्तियों में जैव-सक्रिय तत्वों की मात्रा में आयु बढ़ने साथ परिवर्तन नहीं होते हैं, वहां बाद के चरण में भी संग्रह विस्तारित किया जा सकता है।

6.5.2 स्रोत पौधे को पत्तियों को पूरी तरह से नहीं काटना चाहिए। पौधे की सामान्य प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिशत पत्तियों को छोड़ देना चाहिए।

6.5.3 दुर्गम पत्तियों के संग्रहण की सुविधा के लिए पेड़ों, झाड़ियों या उनकी शाखाओं को नहीं काटा जाना चाहिए।

6.5.4 कोमल पत्तियों को तब तक नहीं काटा जाना चाहिए जब तक वे आधिकारिक तौर पर मान्य उत्पाद का निर्माण न करती हों। पीली हो गईं पत्तियां, संक्रमित, अपूर्ण और अस्वस्थ लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए।

6.5.5 आम तौर पर पत्तियों पर बाह्य नमी न हो, उन्हें सूरज की खुली धूप में नहीं सुखाया जाना चाहिए, जिस स्थिति में उन्हें कुछ समय के लिए सीधे धूप में सुखाया जा सकता है और बाहरी नमी के सूखने के साथ ही उन्हें छाया या अप्रत्यक्ष धूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उत्पादों को तेजी से सुखाने के लिए सुखाने के दौरान उन्हें समय-समय पर पलट दिया जाना चाहिए।

6.5.6 पत्तियों को पूर्ण रूप से सुखाने के बाद उनकी पैकिंग की जानी चाहिए। यहां तक कि कुछ पत्तियों में मौजूद नमी की थोड़ी मात्रा, कवक संदूषण और पूरे लॉट के ख़राब होने का कारण बन सकती है।

6.5.7 आवश्यक तेल से समृद्ध पत्तियों को खरोंच से बचाने के लिए इनका रखरखाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। खरोंच से इनके आवश्यक तेल का ह्रास हो सकता है या इसकी गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।

6.5.8 पत्तियों की कटाई मौसम के दौरान की जानी चाहिए जब इसकी वृद्धि और पत्ती का उत्पादन सबसे अधिक होता है।

6.5.9 जब पर्यावरण की स्थिति पौधों के लिए तनावपूर्ण होती हैं, तो कटाई को स्थगित कर दिया जाना चाहिए या कम मात्रा में काटा जाना चाहिए।

6.5.10 यदि पत्तियों का आकार घटता जा रहा हो तो कटाई कम कर देनी चाहिए क्योंकि यह तनावपूर्ण स्थिति का संकेतक है।

6.5.11 यदि कहीं पर पौधे के आकार में कमी होती हुई दिखे, भले ही वानस्पतिक अंकुरण में वृद्धि हो रही (अर्थात पौधों की संख्या घनी होती जा रही है) हो, तो कटाई की दर में कमी की जानी चाहिए।

6.5.12 यदि चराई, आग या अन्य घटनाओं के कारण भारी दबाव पड़ता हो जिससे पौधे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, तो कटाई की दर कम होनी चाहिए।

6.6 फूल तथा फूलों के भाग

6.6.1 फूलों को तब काटा जाना चाहिए (या यदि निर्दिष्ट किया गया है, तो फूलों की सबसे ऊपरी भाग) जब वे खुल गए हों या इसमें सुगंध आने के तत्काल बाद।

6.6.2 फूल की कलियों को सुबह के समय इनके खुलने से पहले संग्रहीत किया जाना चाहिए। इस मामले में सामग्री को हिला कर कीड़ों को भगाया जाना चाहिए।

6.6.3 आवश्यक तेल से समृद्ध पत्तियों को खरोंच से बचाने के लिए इनका रखरखाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। खरोंच से इनके आवश्यक तेल का ह्रास हो सकता है या इसकी गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।

6.6.4 बारहमासी पादपों जैसे झाड़ियों, पेड़ों और लताओं के फूलों को पूरी तरह से नहीं काटा जाना चाहिए। इसी तरह, वार्षिक पौधों की एक पूरी आबादी से एक बार में ही फूलों को संग्रहीत नहीं

किया जाना चाहिए। परागण, निषेचन, फल / बीज निर्माण और प्रसारण की प्राकृतिक प्रक्रिया के जारी रहने के लिए पौधों पर पर्याप्त फूल छोड़ना चाहिए।

6.6.5 वांछित सक्रिय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फूलों की परिपक्वता के उचित समय पर वर्तिकाग्र, पंख, पंखुड़ी आदि जैसे पुष्प भागों को एकत्र किया जाना चाहिए।

6.6.6 कोमल फूलों और फूलों के हिस्सों को सूरज की खुली धूप में नहीं सुखाया जाना चाहिए। जो फूल मांसल (जैसे मधुका इंडिका) होते हैं, उन्हें नमी की सतह से छुटकारा पाने के लिए पहले में धूप में सुखाया जा सकता है और बाद में छाया या अप्रत्यक्ष धूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

6.6.7 उन औषधीय पादप उत्पादों को सूर्य के खुले प्रकाश से दूर, नमी प्रतिरोधी सुरक्षित कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए, जिनमें फूल व फूलों के भाग होते हैं।

6.7 फल एवं बीज

6.7.1 फलों और बीजों को केवल परिपक्वता पर संग्रहीत किया जाना चाहिए जब तक कि अपरिपक्व भाग औषधीय उत्पादों (उदाहरण के लिए *इम्ब्लिका, ऐजिल ऑफिसिनैलिस, एजिल मैर्मिलोस*) का गठन न करते हों। यह तथ्य एपिएसी (Apiaceae) परिवार के फल पर लागू नहीं होती है जो सूखने पर फूट जाते हैं इसलिए उन्हें परिपक्वता से पहले संग्रहीत किया जाना चाहिए।

6.7.2 झाड़ियों और पेड़ों के मामले में, एक ही पौधे के सभी फलों को एक समय में संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए और प्रजातियों के आगे प्रजनन के लिए कुछ स्वस्थ फलों को अवश्य छोड़ना चाहिए। इसी तरह, वार्षिक पौधों की पूरी आबादी के फलों व बीजों को एक समय में नहीं काटा जाना चाहिए।

6.7.3 फलों व बीजों के संग्रहण में आसानी के लिए पेड़ों, झाड़ियों व उनकी शाखाओं को नहीं काटा जाना चाहिए।

6.7.4 अपरिपक्व, संक्रमित तथा विकृत फलों को अलग करके विधिवत हटाया जाना चाहिए।

6.7.5 यदि औषधीय पादप उत्पाद ताजे फलों (जैसे फ़ाइलेन्थस एम्बिका) से निर्मित होता है, तो इसे कटाई के तुरंत बाद कोल्ड स्टोरेज या पल्पिंग यूनिट में ले जाना चाहिए।

6.7.6 जहां भी आवश्यकता हो, बीजों के व्यापार से पहले उन्हें फलों के छिलके से पूर्ण रूप से बाहर निकाला जाना चाहिए।

6.7.7 उत्पाद की ज़रूरत के अनुसार, फलों को सुखाने व उनकी पैकेजिंग को सुगम बनाने के लिए उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाना चाहिए।

6.7.8 फलों को पैक करने से पहले उन्हें पूरी तरह से सुखाया जाना चाहिए। बेतरतीब ढंग से चयनित फलों को यह सुनिश्चित करने के लिए विच्छेदित किया जाना चाहिए कि उनमें कोई अंतर्निहित नमी नहीं बची है।

6.8 गोंद एवं राल

6.8.1 संग्राहकों / संग्रह प्रबंधकों को एक्सयूडेट्स संग्रहीत करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मातृ पादप को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। एक्सयूडेट्स को संग्रहीत करने के लिए केवल कुछ छोटे अनुदैर्ध्य चीरे बनाए जाने चाहिए और एक्सयूडेट्स संग्रहीत होने के बाद किसी भी कवक या बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने के लिए खुले हुए भागों को उचित रूप से उपचारित किया जाना चाहिए।

6.8.2 भूमि के निकट बने हुए चीरों तक मवेशियों और जंगली पशुओं द्वारा आसानी से पहुंच स्थापित की जा सकती है, इससे बचा जाना चाहिए। संग्रह कंटेनर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे इन्हें बारिश, पक्षियों से गिरने वाले मल-मूत्र और इस तरह के किसी भी अन्य संभावित संदूषण की रोकथाम की जा सके।

6.8.3 जहां गोंद व राल में कुछ बाहरी पदार्थों के मिश्रित होने की संभावना हो, इसे सावधानी से हटाया जाना चाहिए।

6.8.4 स्रोत पेड़ या झाड़ी से फिर से एक्सयूडेट्स संग्रहीत करने से पहले उचित रिकवरी अवधि दी जानी चाहिए।

6.8.5 अधिकांश गोंद व राल को ज्वलनशील होने के कारण, उपयुक्त कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए और अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत किया जाना चाहिए। डामर (शोरिया रोबस्टा) और सराल (पीनस लोंगिफोलिया) जैसे रालों के कंटेनरों पर परिवहन व भंडारण के समय "ज्वलनशील सामग्री" के लेबल लगाए जाने चाहिए।

6.8.6 गोंद/राल में वृद्धि करने के लिए पेड़ की जड़ में आग नहीं जलाई जानी चाहिए।

6.8.7 छोटे पेड़ों को टैप नहीं किया जाना चाहिए। पेड़ों का घेरा तय किया जाएगा जिसके नीचे गोंद / राल के दोहन की अनुमति नहीं होगी।

6.8.8 गर्म मौसम में गम का प्रवाह अधिक होता है। इसलिए, ऐसी प्रजातियों में दोहन जून-अक्टूबर के बीच किया जाना चाहिए।

6.8.9 लंबे तेज कट वाले ब्लाज़ सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे शुद्ध राल / गोंद देते हैं और छाल तेजी से ठीक हो जाते हैं। अनियमित कटौती राल में अशुद्धियों को जोड़ती है। लंबे कटौती बेहतर होते हैं क्योंकि वे एक्सयूडीशन के लिए अधिक क्षेत्र प्रदान करते हैं और तेजी से ठीक होते हैं। वर्ग कार और गोल कट को ठीक होने में अधिक समय लगता है।

6.8.10 कट का निशान बनाने के लिए तेज़ धार वाले चाकू या छेनी का उपयोग किया जा सकता है।

6.8.11 गोंद या राल को छाल पर जमने देने के बजाय, संग्रह गर्त को स्थिर करना बेहतर है, उदाहरण के लिए नारियल का गोला, खोखला बाँस आदि।

6.8.12 एक ही पेड़ पर एक से अधिक कट के निशान बनाए जाने पर इष्टतम रिसाव के लिए किया जाना चाहिए। दोहन के 3 साल बाद, कट के निशान भरने के लिए पेड़ को पर्याप्त विश्राम दिया जाना चाहिए।

6.9 अन्य (गॉल्स, लाख इत्यादि)

6.9.1 गॉल्स को केवल निर्धारित प्रजातियों *(पिस्ताकिया इंटरगेरिमा से कर्कटशृंगी)* से एकत्र किया जाना चाहिए ।

6.9.2 कलेक्टर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई जीवित कीट गल्स के अंदर मौजूद न हो। गॉल्स के कटाई के बाद का प्रबंधन एकान्त स्थान पर किया जाना चाहिए और सामग्री को उचित रूप से पैक और संग्रहीत किया जाना चाहिए ताकि अन्य उपज को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके।

अनुलग्नक C

औषधीय उत्पादों के लिए अनुशंसित पैकेजिंग

उत्पाद का प्रकार	पैकेजिंग विकल्प
लकड़ी जैसी प्रकृति वाले– जड़ें, तने, लकड़ी, छाल इत्यादि	1. टाट का बोरा 2. जूट का बोरा 3. बुने हुए थैले
वार्षिक पूर्ण जड़ी-बूटियां, लताएं, ट्वीनर, पत्तियां इत्यादि	1. कम घनत्व वाले बुने हुए थैले 2. जूट का बोरा
मांसल सामग्रियां-मांसल राइज़ोम (उदाहरण के लिए शतावरी), फलों का छिलका (कोकुम बटर), फूल (महुआ)	1. उच्च ग्रेज वाली पॉलिथीन के स्तर वाला जूट का बोरा 2. उच्च गेज वाली पॉलिथीन के स्तर
कोमल फूल व फूलों के भाग– परागकोश, वर्तिकाग्र, पंखुड़ी इत्यादि	1. पॉलिथीन के स्तर वाला नलीदार बॉक्स 2. बुने हुए थैले के साथ-साथ दफ्ती का
गोंद एवं राल	1. एयर-टाइट प्लास्टिक ड्रम 2. पॉलिथीन के स्तर वाला नलीदार बॉक्स
सुगंधित पादप उत्पाद	1. एयर-टाइट हाई डेंस्टी पॉलिथीन (HDPE) कटेनर 2. पॉलिथीन स्तर वाले फाइबर बोर्ड ड्रम

अनुलग्नक D

कंटेनर के लेबल के बारे में सूचना

औषधीय उत्पाद के कंटेनर पर लगे लेबल पर निम्न सूचना होनी चाहिए

1. उत्पाद का नाम			2. ग्रेड, यदि कोई हो	
3. मात्रा		4. प्राप्ति की तिथि (संग्राहक से)		
5. संग्रहण का माह			6. संग्रहण स्थल	
भंडारगृह के प्रबंधक का हस्ताक्षर			तिथि :	

अनुलग्नक E

औषधीय पादप उत्पाद के लिए पासपोर्ट डेटा शीट

उत्पाद का नाम और ग्रेड, यदि कोई हो :		पादप का स्रोत :	
प्रयुक्त भाग :		काटी गई मात्रा: (सुखाया गया उत्पाद)	
संग्रहणकर्ता :		उत्पाद को कैसे सुखाया गया :	
संग्रहण स्थल (ग्राम, तालुका, जिला व राज्य के साथ-साथ क्षेत्र/ वन/ सामुदायिक भूमि का नाम बताएं			
वह अवधि जब उत्पाद संग्रहीत किया गया		पैकिंग के समय नमी	
क्या जंगल से प्रजातियों के संग्रहण के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है		अनुमति देने वाले प्राधिकारी का नाम	
संग्रहण के समय पादप की घटनाविज्ञानी स्थिति			
उत्पाद के संबंध में कोई अन्य सूचना :			

अनुलग्नक F

चयनित औषधीय पादपों की कटाई का समय

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
एबीज़ वेबियाना (*Abies*	टैलिशपात्रा (Talishpatra)	पत्तियां				
अकेसिया चुन्द्रा (*Acacia chundra*)	खंडीर (Khadir)	लकड़ी				
अकेसिया निलोटिका (*Acacia nilotica*)	बबूल	छाल				
एचिरैंथस एस्पेरा (*Achyranthes aspera*)	अपमर्गा (Apamarga)	पूरा पौधा				
एकॉनिटम फेरॉक्स (Aconitum ferox)	अतिविशा (Ativisha)	प्रकंद				
एकॉनिटम हेटरोफाइलम (Aconitum heterophyllum)	अतिश	प्रकंद				
एकोरस कैलेमस (*Acorus calamus*)	वचा (Vacha)	प्रकंद				
अधाटोडा वैसिका (*Adhatoda vasica*)	अडुसा (Adusa)	पत्तियां				
ऐजिल मैर्मेलोस (*Aegle marmelos*)	बेलगिरि बेल्छल (Belgiri Belchhal)	फल छाल	- -	 --		
एल्पिनिया गैलेंगा (*Alpinia galanga*)	कुलिंजना (Kulinjana)	प्रकंद				
एल्स्टोनिया स्कॉलैरिस (*Alstonia scholaris*)	सप्तपर्णी (Saptaparni)	छाल				
एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा (Andrographis paniculata)	कालमेघ (Kalmegh)	ऊपर के भाग				
एक्वैलेरिया एगालोचा (*Aquilaria agallocha*)	अगारू (Agaru)	तना				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
अर्गिरिइया स्पेसियोसा (*Argyreia speciosa*)	विधारा (Vidhara)	जड़				
एस्परेगस एड्सेंडेन्स (*Asparagus adscendens*)	सफ़ेद मूस्ली	जड़				
एस्परेगस रेसेमोसस (*Asparagus racemosus*)	शतावरी	जड़				
अज़ेडिरच्ता इंडिका (*Azadirachta indica*)	नीम	पत्तियां छाल		 --		- -
बैरिंग्टोनिया एक्युटैंगुला (*Barringtonia acutangula*)	हिज्ज़ल (Hizzal)	बीज				
बर्बेरिस एरिस्टेटा (*Berberis aristata*)	दारुहल्दी (Daruhaldi)	जड़ / तना				
ब्लेफेरिस इडुलिस (*Blepharis edulis*)	उतिगन बीज (Utigan Beej)	बीज				
बोएरेविया डिफूसा (Boerhaavia diffusa)	पुनर्नवा	ऊपर के भाग जड़				
बोस्वेलिया सेरेटा (*Boswellia serrata*)	सलाकी	गोमद-राल				
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (*Butea monosperma*)	पलाश	बीज				
कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा (*Calotropis procera*)	अर्क/ऑक	पत्तियां				
कैलोट्रॉपिस जिगैंटिया (Calotropis gigantea)	अर्क/ऑक	पत्तियां				
कार्थमिस टिन्क्टोरियस (*Carthamus tinctorius*)	कुसुम फूल (Kusum Phol)	फूल के भाग				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
कैसिया एंगुस्टीफोलिया (Cassia angustifolia)	सन्ना (Senna)	पत्तियां बीजकोश				
कैसिया फिस्टुला (Cassia fistula)	अमल्तास	फल				
सेड्रस देवदार (*Cedrus deodara*)	देवदार	लकड़ी				
सेलेस्ट्रस पैनिकुलाटा (Celastrus paniculata)	मल्कागिनी	बीज				
सेंटेला एसियाटिका (Centella asiatica)	मंदूकपरर्णी	पत्तियां				
सिकोरियम इंटीबस (*Cichorium intybus*)	काश्नी	जड़ बीज				
सिनैमोमम टैमला (Cinnamomum tamala)	तेजपत्र	पत्तियां				
सिनैमोमम वेरम (Cinnamomum verum)	दालचीनी	छाल				
साइसस क्वाड्रैंगुलेरिस (Cissus quadrangularis)	हरोड़ (Harhjorh)	तना				
क्लेरोडेंड्रम सिरैटम (Clerodendrum serratum)	भरंगी	छाल				
कॉमिफोरा विघटी (Commiphora wightii)	गुगुलू	गोंद-राल				
क्रैटेवा नुरवेला (Crataeva nurvala)	वरुण	छाल				
क्रोकस सैटिवस (Crocus sativus)	केशर	वर्तिकाग्र				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
कुर्कुलिगो ऑर्कियॉइड्स (Curculigo orchioides)	काली मूस्ली	प्रकंद				
सापरस रोटुंडस (Cyperus rotundus)	मुस्टका	प्रकंद				
डस्मोडियम गैंगेटिकम (Desmodium gangeticum)	शैलपर्णी	ऊपर के भाग				
डियोस्कोरिया बल्बीफेरा (Dioscorea bulbifera)	वरहीकंद	कंद				
इक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा (Eclipta prostrata)	भृंगराज	पूरा पौधा				
इम्बेलिया रिबेस (Embelia ribes)	विदंगा	फल				
फेरुला अस्फोएटिडा (Ferula asfoetida)	हींग	गोंद-राल				
फिकस बेंघलेन्सिस (Ficus benghalensis)	वट/बरगद	छाल				
फिकस कैरिका (Ficus carica)	अंजीर	फल				
फिकस रैसमोसा (Ficus racemosa)	उदुम्बर	छाल				
फिकस रेलिजियोसा (Ficus religiosa)	पीपल	छाल				
ग्मेलिना अर्बोरिया (Gmelina arborea)	गैम्भर	छाल				
जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे (Gymnema sylvestre)	गुर्मर (Gurmar)	पत्तियां				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
हेडिचियम स्पिकैटम (Hedychium spicatum)	कपूर कचरी	प्रकंद				
हेमिडेस्मस इंडिकस (Hemidesmus indicus)	अनंतमूल	जड़				
होलैरिना एंटीडिसेंटेरिका (Holarrhena	कुटाज़ इंदराजवा (Kutaz Indarajava)	छाल बीज				
ह्योसायमस नाइजर (*Hyoscyamus niger*)	खुरसनी अजवाइन	बीज				
इनुला रेसमोसा (*Inula racemosa*)	पुश्करमूल	जड़				
इपोमोइया डिजिटेटा (*Ipomoea digitata*)	क्षीर-विदारी	कंद				
मधुका इंडिका (Madhuca indica)	महुआ	फूल				
मार्टीनिया डियांड्रा (Martynia diandra)	काकनशा (Kakanasha)	फल				
मेसुआ फेरिया (Mesua ferrea)	नागकेशर	पुंकेसर				
मिमेसा पुडिका (Mimosa pudica)	लाजवंती	पूरा पौधा				
मिमुसोप्स एलेंगी (*Mimusops elengi*)	वैकुला	छाल				
मोरिंगा ओलीफेरा (Moringa oleifera)	सहजना	फल				
म्युकुना प्रूरेन्स (*Mucuna pruriens*)	कौंच बीज	बीज				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
माइरिका एस्कुलेंटा (Myrica esculenta)	कायफल	छाल				
माइरिस्टका फ्रैग्रेंस (*Myristica fragrans*)	जायफल	फल				
नार्दोस्टेचिस जटामंसी (*Nardostachys jatamansi*)	जटामंशी	प्रकंद				
ओपेर्कुलीना टर्पेथम (Operculina turpethum)	निशोठ	जड़				
ऑरोजाइलम इंडिकम (*Oroxylum indicum*)	स्योनका (Syonaka)	छाल				
पर्नेलिया पेर्लटा (Parnelia perlata)	छैरिला (Chharila)	ऐस्कोलाइकेन				
फाइलैंथस इम्ब्लिका (Phyllanthus emblica)	आँवला	फल /बीज				
पिक्रोरिज़ा कुरोआ (Picrorrhiza kurroa)	कुट्की	प्रकंद				
पाइपर लॉन्गम (Piper longum)	पीपली	फल				
प्लम्बैगो इंडिका (Plumbago indica)	चित्रकमूल	जड़				
प्लैंटैगो ओवैटा (*Plantago ovata*)	ईसबगोल	बीज				
पोडोफाइलम हेक्सांड्रम (Podophyllum hexandrum)	बंकक्री (Bankakri)	प्रकंद				
प्रेम्ना इंटैग्रिफोलिया (Premna integrifolia)	अग्निमंथा	तना				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
सोरेलिया कोरिलीफोलिया (Psoralea corylifolia)	बकुची/सोमराजी	बीज				
टेरोकार्पस मैर्सपियम (Pterocarpus marsupium)	विजयशाल	अंत:काष्ठ				
टेरोकार्पस सैंटलिनस (Pterocarpus santalinus)	रक्तचंदन	अंत:काष्ठ				
रऊल्फिया सर्पेंटाइना (*Rauwolfia serpentina*)	सर्पगंधा	जड़				
रियुम ऑस्ट्रेले (Rheum australe)	रेवंडचीनी	जड़				
रुबिया कॉर्डिफोलिया (Rubia cordifolia)	मंजिश्ठा	तना				
सैंटेलम एल्बम (Santalum album)	चंदन	लकड़ी				
सैपिंडस मुकोरोसी (Sapindus mukorossi)	रीठा	बीज				
सैकेका असोका (Saraca asoca)	अशोक	छाल				
साउसरिया कोस्टस (*Saussurea costus*)	कत्था	जड़				
सिडा कॉर्डिफोलिया (Sida cordifolia)	बाला	पत्तियां				
सोलेनम एंगुइवी (Solanum anguivi)	वृहति	जड़ एवं तना				
सोलेनम निग्रम (Solanum nigrum)	मकोय	फल पूरा पौधा				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
सोलेनम वर्जीनियनम (Solanum verginianum)	कंटकरी	पूरा पौधा				
स्फेरैंथस इंडिकस (Spheranthus indicus)	मुंडी	फल				
स्वेर्टिया चिरैयिता (Swertia chirayita)	चिरैता	पूरा पौधा				
सिज़ीजियम कमिनी (Syzygium cumini)	जामुन	बीज छाल				
सिज़ीजियम एरोमैटिकम (Syzygium aromaticum)	लवांगा	फूल की कलियां				
टैक्सस बैक्कटा (Taxus baccata)	थनेर	पत्तियां				
टेफ्रोसिया पर्प्योरिया (Tephrosia purpurea)	सर्पौनखा (Sarpaunkha)	पूरा पौधा				
टेरैम्नस लैबियालिस (Teramnus labialis)	माशपर्णी	ऊपर के भाग				
टर्मिनेलिया अर्जुन (Terminalia arjuna)	अर्जुन	छाल				
टर्मिनेलिया बेलिरिका (Terminalia bellirica)	विभीतकी	फल				
टर्मिनेलिया चेबुला (Terminalia chebula)	हरीतकी	फल				
टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया (Tinospora cordifolia)	गुदुची	तना				
ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस (*Tribulus terrestris*)	गोखरु	फल				

जड़ी-बूटी का नाम	स्थानीय नाम	प्रयुक्त भाग	संग्रहण की ऋतु*			
			फरवरी से अप्रैल	मई से जुलाई	अगस्त से अक्टूबर	नवम्बर से जनवरी
यूरेरिया पिक्टा (Uraria picta)	पृश्निपर्णी	ऊपर के भाग				
वैलेरियाना जटामंसी (Valeriana jatamansi)	तगर	जड़				
वेटिवेरिया जिज़ैनियॉइड्स (Vetiveria zizanioides)	खस/युशिर	जड़				
विग्ना ट्रिलोबा (Vigna triloba)	मुद्गपर्णी	ऊपर के भाग				
विओला ओडोराटा/वी.सेर्पेंस (Viola odorata / V.serpens)	वनफ़शा	फूल				
विथैनिया सोम्निफेरा (Withania somnifera)	अश्वगंधा	जड़				
वुडफोर्डिया फ्रक्टिकोसा (Woodfordia fruticosa)	धतकी	फूल				
ज़ैंथिक्सिलम आर्मेटम (Zanthoxylum armatum)	तिम्रु/तेजबल	फल				
जिंगीबर ऑफिसिनेलिस (Zingiber officinalis)	सोंठ/अदरख	प्रकंद				
जिंजीफस फ्रक्टिकोसा (Zizyphus fruticosa)	वदरी/बेर	फल				

*: संग्रहण का समय विविध भौगोलिक-जलवायुवीय स्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है।

स्रोत : डाबर रिसर्च फाउंडेशन एवं TRAFFIC इंडिया, आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स (AMP's) की कटाई व प्रसंस्करण

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

अनुलग्नक G

ASU: आयुर्वेद, सिद्ध एंड यूनानी

AYUSH: आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होमियोपैथी

BfN: बंडेसम्त फर नेचर्सशट्ज़

BSI: बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया

CBD: कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी

CITES: कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डैंजर्ड स्पेसीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा

DFO: Divisional Forest Officer

FRI: फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (देहरादून)

GACP: गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ एंड कलेक्शन प्रैक्टिसज़

ISSC-MAP: इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल वाइल्ड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स

IUCN: दि वर्ल्ड कंज़र्वेशन यूनियन

(पूर्व इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़)

MoEF: मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट एंड फॉरेस्ट

NMPB: नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड

RET: रेयर, एन्डैंजर्ड एंड थ्रेटेन्ड (स्पेसीज़)

SOP: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज़र्स

TRAFFIC: ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फौना इन कॉमर्स

WHO: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन

WWF: वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर